



The Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhistan Adhiniyam, 1962

Act 26 of 1962

Keyword(s):
Chief Inspector, Shop

Amendments appended: 54 of 1976, 29 of 2018, 18 of 2019, 12 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन)
अधिनियम, 1962

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26, 1962)

**THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA
ADHISHTHAN ADHINIYAM, 1962**

(U.P. Act No. XXVI of 1962)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1962]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 54, 1976

उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1979

उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 2018

उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 2019

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 25 सितम्बर, 1962 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने संशोधन सहित दिनांक 1 नवम्बर, 1962 ई० की बैठक में स्वीकृत किया जिसको उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 नवम्बर, 1962 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने 18 दिसम्बर, 1962 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 दिसम्बर, 1962 ई० को प्रकाशित हुआ।]

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्य और नियोजन की दशाओं के विनियमन से सम्बद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य-अधिष्ठान अधिनियम, 1962 कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्ष नाम
प्रसार और प्रवृत्ति

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्ध उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में उस मात्रा में प्रवृत्त होंगे जिसका कि निर्देश उस अनुसूची में किया गया है और राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति देकर, समय-समय पर, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों के संबंध में और उतनी मात्रा में भी प्रवृत्त होंगे, जिसका कि निर्देश उस विज्ञप्ति में किया जाय।

2-विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में -

परिभाषाएं

(1) “शिक्षु”, का तात्पर्य किसी व्यापार या व्यवसाय में नियोजक (employer) द्वारा शिक्षण के प्रयोजनार्थ मजदूरी पर या बिना मजदूरी के नियोजित ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 12 वर्ष से कम न हो ;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 15 सितम्बर, 1962 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

¹[(1-क) "मुख्य निरीक्षक का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक से है इसमें उक्त धारा के अधीन नियुक्त उप-मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक भी सम्मिलित है ;]

(2) "बच्चा" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो चौदह वर्ष का न हो चुका हो ;

(3) "बन्द" का तात्पर्य खण्ड (13) के अर्थ में खुला न होने से है ;

(4) "वाणिज्य-अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी भू-गृहादि से है जो, फ़ैक्टरी के भू-गृहादि या दुकान न हों और जहां कोई व्यापार, कारोबार, निर्माण (manufacture) या उससे सम्बद्ध अथवा उसका आनुषांगिक या सहायक कोई काम लाभ के लिये किया जाता हो और इसके अन्तर्गत ऐसे भू-गृहादि भी हैं जहां पत्रकारिता या मुद्रण का कार्य अथवा रूपये के लेन-देन, बीमा, स्टाफ तथा अंश, दलाली या उत्पाद-विनिमय का कारोबार किया जाता हो अथवा जो थियेटर या सिनेमा के रूप में या किसी अन्य सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होता हो अथवा जहां फ़ैक्टरी के लिपिक तथा अन्य कर्मचारीगण, जिन पर फ़ैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के उपबन्ध प्रवृत्त न होते हों, कार्य करते हों ;

(5) "दिन" का तात्पर्य मध्यरात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है ;

प्रतिबन्ध यह है कि उस कर्मचारी के विषय में, जिसके कार्य का समय मध्यरात्रि के बाद तक हो, दिन का तात्पर्य उसके कार्य के प्रारम्भ होने के समय से 24 घंटे की अवधि से है ;

(6) "कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नियोजक द्वारा किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किए जाने वाले किसी व्यापार, कारोबार या निर्माण में अथवा उसके संबंध में, मजदूरी पर अनन्यतः या मुख्यतः नियोजित हो और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) अवेक्षक, माली या पहरा और रक्षा दल (Watch and ward) का कोई सदस्य ;

(ख) फ़ैक्ट्री या औद्योगिक अधिष्ठान के लिपिक या अन्य कर्मचारीगण, जो फ़ैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत न आते हों ; और

ऐक्ट संख्या 63,
1948

(ग) कोई शिष्य या ऐसा व्यक्ति जो ठेके पर कार्य करता हो या जिसे कार्य की मात्रा के अनुसार वेतन दिया जाता हो ;

(7) "नियोजक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका यथास्थिति दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किए जाने वाले व्यापार, कारोबार या निर्माण (manufacture) पर स्वामित्व हो या जो उसका प्रभारी हो अथवा जिसका उस पर अंतिम रूप से नियंत्रण हो, और इसके अन्तर्गत उक्त व्यापार, कारोबार या निर्माण के प्रबन्ध या नियंत्रण में नियोजक की ओर से काम करने वाला प्रबन्धक या अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति भी है ;

(8) "फ़ैक्ट्री" का वही अर्थ होगा जो फ़ैक्टरीज ऐक्ट, 1948 में दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत वे भू-गृहादि नहीं हैं, जहां फ़ैक्ट्री के ऐसे लिपिक या अन्य कर्मचारीगण कार्य करते हों, जिन पर उक्त ऐक्ट के उपबन्ध प्रवृत्त न हों ;

ऐक्ट संख्या 63,
1948

(9) नियोजक के सम्बन्ध में "परिवार" का तात्पर्य उस नियोजक के, यथास्थिति, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन से है, जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों ;

(10) "इन्सपेक्टर" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्त निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक से है ;

(11) "छुट्टी" का तात्पर्य काम पर से सवेतन अनुपस्थित रहने की उस अवधि से है, जिसका कर्मचारी इस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन हकदार हो ;

(12) "रात्रि" का तात्पर्य लगातार बारह घंटों की ऐसी अवधि से है जो इस प्रकार नियत की जाए कि 10 बजे रात्रि और 6 बजे प्रातःकाल के बीच का समय सदैव इसके अन्तर्गत हो ;

(13) दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के सम्बन्ध में "खुला" का तात्पर्य किसी ग्राहक की सेवा के लिए या दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में सामान्यतः किए जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिए खुले होने से है ;

1[(13-क) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के संबंध में "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान चलाता हो या उसका प्रभारी हो;]

(14) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियत से है ;

(15) "फुटकर व्यापार या कारोबार" का तात्पर्य माल की छोटी मात्राओं में बिक्री तथा ग्राहकों की सेवा से है और नाई या केश-प्रसाधक का व्यवसाय, पकाए हुए भोजन, जल-पान या मादक द्रव की बिक्री तथा नीलाम द्वारा फुटकर बिक्री भी इसके अन्तर्गत हैं ;

ऐक्ट संख्या 63,
1948

(16) "दुकान" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है, जहां थोक या फुटकर व्यापार या कारोबार किया जाता हो अथवा जहां ग्राहकों की सेवा की जाती हों, और इसके अन्तर्गत वे समस्त कार्यालय, गोदाम या भांडार भी है, जो ऐसे व्यापार या कारोबार के सम्बन्ध में प्रयोग में लाए जाते हों, चाहे वे उसी भू-गृहादि में हों या न हों ;

(17) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(18) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त या अभिव्यक्त होने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक (चाहे वह वेतन के रूप में हों या भत्ते के रूप में या अन्य किसी रूप में) से है, जो नियोजन की अभिव्यक्त या विवेक्षित शर्तें पूरी हो जाने की दशा में कर्मचारी को देय होगा और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) कोई बोनस ;

(ख) कर्मचारी को उसके नियोजन की समाप्ति के कारण देय कोई धनराशि; और

(ग) उसके नियोजन की शर्तों के अधीन देय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक ।

(19) "सप्ताह" का तात्पर्य एक शनिवार की मध्य रात्रि से लेकर अगले शनिवार की मध्य रात्रि तक की अवधि से है ; और

(20) "तरुण" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो न तो बच्चा हो और न सत्रह वर्ष का हो चुका हो ।

3-(1) इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होंगे :-

(क) ऐसे कर्मचारी जो किसी ऐसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में, जिसमें पांच से अधिक व्यक्ति नियोजित हों, गोपनीय, प्रबन्धकीय या पर्यवेक्षी प्रकार के पदों पर हों :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार विमुक्त कर्मचारियों की संख्या ऐसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के कर्मचारियों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य स्वाभाविक रूप से सविराम हो, जैसे यात्री या प्रार्थक (कनवेसर) ;

(ग) सरकारी या स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय ;

(घ) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय ;

(ङ) अस्वस्थ, अशक्त, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के उपचार या उनकी देखभाल के लिए अधिष्ठान ; और

(च) नियोजक के परिवार के सदस्य।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित कर्मचारियों की एक सूची दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जायगी और उसकी एक प्रति सम्बद्ध निरीक्षक को भेजी जायगी।

(3) राज्य सरकार, लोक-हित में, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान अथवा दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को ऐसी शर्तों पर जो वह तदर्थ आरोपित करे, इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।

(4) राज्य सरकार, उसी प्रकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (3) के अधीन दी गई किसी विमुक्ति को, पूर्णतः या अंशतः, स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो निर्दिष्ट की जाय, वापस ले सकती है।

4-इस अधिनियम में दी गई किसी बात से किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसका कोई कर्मचारी उस दिनांक को जब यह अधिनियम उस पर प्रवृत्त होना प्रारम्भ हो, उक्त दिनांक को प्रचलित किसी विधि, अधिनिर्णय (Award), अनुबन्ध, संविदा, रूढ़ि या प्रथा के अनुसार हकदार हो।

1[अध्याय 1-क]

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण

4-क-मुख्य निरीक्षक उन समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा और जिसमें ऐसा विवरण दिया जायगा जैसा नियत किया जाय ;

प्रतिबंध यह है कि ऐसे रजिस्टर विभिन्न क्षेत्रों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिये भिन्न-भिन्न रखे जा सकते हैं।

अधिनियम के उपबन्ध कतिपय व्यक्तियों दुकानों और वाणिज्य - अधिष्ठानों पर प्रवृत्त न होंगे

दुकानों या वाणिज्य अधिष्ठानों के किसी वर्ग को अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त करने का सरकार का अधिकार राज्य सरकार द्वारा विमुक्ति का वापस लिया जाना

व्यावृत्ति

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्टर

4-ख-1[(1) ऐसे दुकान या वाणिज्यिक का प्रत्येक स्वामी ऐसे कारोबार के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, अपनी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए निरीक्षक को आवेदन करेगा और यदि उसका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो, तो उस दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण यथाविहित रीति से आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से एक दिन से भीतर प्रदान किया जायेगा:] **रजिस्ट्रीकरण**

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वीकृत करता है या स्वीकृत करने से अस्वीकार करता है या स्वीकृति करने के लिए आपत्ति करता है या संशोधन आदेश पारित करता है तो रजिस्ट्रीकरण, इस उपधारा के अधीन उल्लिखित समय से पश्चात् स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(1-क) आवेदक अपना आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा ;

परन्तु यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण, अकृत एवं शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी :

परन्तु यह और कि स्वीकृत किये गये रजिस्ट्रीकरण पर विचार, दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा।¹

2[(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसी नियत की जाय ।

(3) मुख्य निरीक्षक अपना यह समाधान होने पर कि नियत फीस जमा कर दी गई है, धारा 4-क के अधीन रखे गये रजिस्टर में दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान को दर्ज करेगा और स्वामी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे रीति से, जैसी नियत की जाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा।]

4-ग-3 [“4-ग-धारा 4-ख के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उस अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा जिस अवधि तक के लिये दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विद्यमान हो।”] **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता**

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 54, 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 18, 2019 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

1[4-घ— जब कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय या विरूपित हो जाय या अपठनीय हो तो मुख्य निरीक्षक नियत रीति से और नियत फीस देने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा।]

रजिस्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र की
दूसरी प्रति

अध्याय-2 कारोबार का समय

5-(1) कोई दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान, जो अनुसूची 2 में उल्लिखित दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान न हो, किसी भी दिन, न तो ऐसे समय के पूर्व खुलेगा और न ऐसे समय के पश्चात् बन्द होगा, जो तदर्थ नियत किया जाय ।

कारोबार का समय

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के लिए, या विभिन्न क्षेत्रों के लिए या वर्ष की विभिन्न अवधियों में पहले खोलने या बाद में बन्द करने का समय नियत किया जा सकता है ।

(3) राज्य सरकार, किसी भी समय, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को अनुसूची 2 में बढ़ा सकती है या उसमें से निकाल सकती है।

6-(1) कोई नियोजक किसी कर्मचारी से एक दिन में उसके —

काम का समय और
अधिसमय

(क) बच्चा होने की दशा में पांच घंटे ;

(ख) तरुण होने की दशा में छः घंटे ; और

(ग) कोई अन्य कर्मचारी होने की दशा में आठ घंटे से अधिक काम करने

की अपेक्षा नहीं करेगा और न उसे उससे अधिक काम करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर्मचारी से जो तरुण या बच्चा न हो, उपर्युक्त समय से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा सकती है या उसे उक्त समय से अधिक काम करने दिया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार कि स्टाक सम्हालने या लेखा तैयार करने के दिन के सिवाय किसी अन्य दिन काम का कुल समय (जिसमें अधिसमय भी सम्मिलित है) दस घंटे से अधिक न हो :

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1979 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

प्रतिबन्ध यह भी है किसी तिमाही में अधिसामयिक (overtime) काम का समय [एक सौ पच्चीस]¹ घंटे से अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—“तिमाही” का तात्पर्य पहली जनवरी या पहली अप्रैल या पहली जुलाई या पहली अक्टूबर का प्रारम्भ होने वाली तीन मास की निरन्तर अवधि से है।

(2) ऐसे कर्मचारी को, जिसने उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निश्चित काम के समय के अतिरिक्त काम किया हो उसके नियोजक द्वारा, ऐसे अतिरिक्त समय के काम के प्रत्येक घंटे के लिए साधारण दर की दुगुनी दर से मजदूरी दी जायगी।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “साधारण दर” का तात्पर्य आधारभूत मजदूरी तथा ऐसे भत्ते से है (जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को अनाज तथा अन्य पदार्थों की रियायती दर पर बिक्री से होने वाले लाभ के बराबर नकदी भी है), जो कर्मचारी तत्समय पाने का हकदार हो किन्तु इसके अन्तर्गत बोनस नहीं है।

स्पष्टीकरण 2—कर्मचारी को अधिसामयिक (overtime) काम के लिए देय मजदूरी की गणना करने में एक दिन काम के आठ घंटों का माना जायगा।

7—किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम के घंटों की व्यवस्था इस प्रकार की जायगी कि प्रत्येक कर्मचारी को लगातार पांच घंटे से अनधिक काम करने के पश्चात् कम से कम आधे घंटे का विश्राम मिले और किसी कर्मचारी के काम के समयों तथा विश्राम के अन्तर्कालों का कुल विस्तार एक दिन में बारह घंटों से अधिक का न हो :

विश्राम के लिए अन्तर्काल और एक दिन में काम के घंटों का विस्तार

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार लोक-हित में और ऐसी शर्तों पर जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे, विस्तार की उक्त अवधि को या तो सामान्यतः या दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी विशेष वर्ग के लिए बढ़ा सकती है।

अध्याय—3

अवकाश के दिन और छुट्टी

8—(1) प्रत्येक नियोजक अपनी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान को, जो अनुसूची 2 में सम्मिलित नहीं है — **बन्दी के दिन**

(क) सप्ताह में एक दिन ; और

(ख) वर्ष में ऐसे सार्वजनिक अवकाश के दिनों (public holidays) पर, जो नियत किए जायें, बन्द रखेगा और ये दिन यहां आगे बन्दी के दिन कहे जायेंगे।

(2) बन्दी का दिन (जो सार्वजनिक अवकाश के उपलक्ष में बन्दी का दिन न हो) किस दिन पड़ना चाहिए इसका निश्चय, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, नियोजक करेगा। नियोजक दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें बन्दी के समस्त दिनों का उल्लेख होगा।

(3) नियोजक द्वारा बन्दी के दिन में परिवर्तन वर्ष में एक बार से अधिक अथवा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी का नियत रीति से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। (पचास के स्थान पर)

किया जायगा। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन अगले वर्ष की पहली जनवरी से प्रभावी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी स्थान के नियोजक सप्ताह के किसी विशेष दिन को बन्दी के दिन के रूप में नहीं मनाते, तो उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, नियत रीति से, किसी विशेष दिन को उस स्थान के लिए बन्दी का दिन निश्चित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्राधिकारी, किसी स्थान के अधिकांश नियोजकों की लिखित प्रार्थना पर बन्दी का दिन निश्चित किए जाने के दिनांक के छः मास के बाद किसी भी समय, ऐसे दिनांक से जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, उक्त बन्दी के दिन में यदि वह सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो परिवर्तन कर सकता है।

स्पष्टीकरण — “स्थान” का तात्पर्य ऐसे संपार्श्विक (compact) क्षेत्र से है जिसे उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, सार्वजनिक सूचना द्वारा, इस रूप में घोषित करे।

9—प्रत्येक कर्मचारी को, जो चौकीदार या अवेक्षक (caretaker) न हो, नियोजक द्वारा निम्नांकित दिनों का अवकाश दिया जायगा :—

(1) प्रत्येक बन्दी के दिन का जो सार्वजनिक अवकाश का दिन हो ; और

(2) प्रत्येक सप्ताह में एक पूरे दिन का :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर प्रवृत्त न होगी, जिसकी सप्ताह में नियोजन की कुल अवधि (जिसके अन्तर्गत छुट्टी पर रहने का दिन या अवकाश का दिन भी है) छः दिन से कम हो:

10—(1) प्रत्येक कर्मचारी, जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में बारह मास या उससे अधिक समय से हो, धारा 9 के अधीन अनुमत किसी अवकाश के साथ-साथ, उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का भी हकदार होगा ;

उपार्जित छुट्टी,
अस्वस्थता संबंधी
छुट्टी तथा
आकस्मिक छुट्टी

प्रतिबन्ध यह है कि चौकीदार या अवेक्षक, जो बारह मास या उससे अधिक समय से निरन्तर नियोजन में हो, उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिए कम से कम साठ दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी, जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में छः मास या उससे अधिक समय से हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय, किसी एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम पन्द्रह दिन की अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी पाने का भी हकदार होगा।

(3) प्रत्येक कर्मचारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाये, उपार्जित छुट्टी और अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी के साथ-साथ प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दस दिन की आकस्मिक छुट्टी पाने का हकदार होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, समस्त छुट्टियां प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर स्वीकृत की जायेंगी।

(5) ऐसी उपार्जित छुट्टी, जो किसी कर्मचारी ने किसी वर्ष में न ली हो, उस उपार्जित छुट्टी में जोड़ दी जायगी जो उक्त कर्मचारी को अगले वर्ष के लिए प्राप्य हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी समय कर्मचारी को देय उपार्जित छुट्टी की कुल अवधि 45 दिन से अधिक न होगी।

(6) उपधारा (1) या (2) के अर्थ में कर्मचारी के निरन्तर नियोजन की अवधि की गणना करने में वह अवधि सम्मिलित कर ली जायगी, जिसमें कर्मचारी इस धारा के अधीन पर रहा हो।

(7) यदि नियोजक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दे, या कर्मचारी ही नियोजन समाप्त कर दे, तो नियोजक, कर्मचारी को उतने दिनों की मजदूरी का देनदार होगा, जितने दिनों की उपार्जित छुट्टी उसे देय हो।

11-(1) जब किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसे पैंतालिस दिन की उपार्जित छुट्टी देय हो, ऐसी छुट्टी अस्वीकृत की जाय, तो वह अस्वीकृत छुट्टी की अवधि के लिये उस धनराशि का हकदार होगा जो कि उसके उस अवधि में छुट्टी पर रहने की दशा में उसे मजदूरी के रूप में देय होती।

अस्वीकृत छुट्टी के विषय में भुगतान

(2) उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि उस अवधि के लिये देय मजदूरी के अतिरिक्त होगी।

(3) कर्मचारी के उक्त धनराशि ले लेने पर उसे देय उपार्जित छुट्टी में से उतने दिन घटा दिये जायेंगे जिनके संबंध में वह धनराशि प्राप्त की गयी हो।

12-प्रत्येक अवकाश के दिन के लिये, और इस अधिनियम के अधीन दी गयी छुट्टी के प्रत्येक दिन के लिये, कर्मचारी ऐसी दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा जो उस दर से कम न हो, जिस दर से मजदूरी पाने का हकदार वह अवकाश के दिन के या ली गयी छुट्टी के, ठीक पहले वाले दिन था, भले ही किसी अन्य विधि, संविदा, रूढ़ि या प्रथा में कोई विपरीत बात हो।

अवकाश के दिन और छुट्टी के लिए मजदूरी

अध्याय-4

मजदूरी में कटौतियां और सेवामुक्ति का नोटिस

13-(1) प्रत्येक नियोजक एक अवधि निश्चित करेगा (जिसे यहां आगे मजदूरी की अवधि कहा गया है), जिसकी समाप्ति पर, और जिसके संबंध में, उसके कर्मचारियों को मजदूरी देय होगी।

मजदूरी की अवधि

(2) कोई मजदूरी की अवधि एक मास से अधिक की न होगी।

(3) प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी ऐसी अवधि के भीतर दे दी जायगी जो नियत की जाय।

(4) छुट्टी की अवधि की छुट्टी न लेने के कारण कर्मचारी की देय पारिश्रमिक और उसके द्वारा उपार्जित मजदूरी का भुगतान कर्मचारी को -

(क) यदि नियोजक द्वारा या उसकी ओर से उसका (कर्मचारी का) नियोजन समाप्त किया जाय तो इस प्रकार नियोजन समाप्त किये जाने के पश्चात् दूसरे कार्य-दिवस की समाप्ति के पूर्व किया जायगा ; और

(ख) यदि कर्मचारी द्वारा अपना नियोजन समाप्त किया जाय तो अगले वेतन दिवस को या उसके पूर्व किया जायगा।

14-(1) ऐसे कर्मचारी द्वारा मांग की जाने पर, जो उपाजित छुट्टी पर जा रहा हो, उसे उक्त छुट्टी की आधी अवधि की मजदूरी का, और उस छुट्टी के ठीक पूर्व की मजदूरी की अवधि की मजदूरी का भुगतान किया जायगा। उक्त छुट्टी की शेष आधी अवधि की मजदूरी, उसके काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की मजदूरी के साथ उसे देय होगी।

उपाजित छुट्टी की अवधि के लिये मजदूरी का भुगतान

(2) अस्वस्थता-सम्बन्धी छुट्टी की अवधि की मजदूरी, कर्मचारी के काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की उसकी मजदूरी के साथ उसे देय होगी।

15-कर्मचारी के वेतन में से कटौतियां केवल उस सीमा तक और ऐसी रीति से की जायेगी, जो नियत की जाये।

मजदूरी में कटौतियां

16-नियोजक कर्मचारी पर, मजदूरी की अवधि के लिये उसे देय मजदूरी के तीन प्रतिशत से अधिक का अर्थ-दण्ड आरोपित न करेगा।

कर्मचारियों को अर्थ-दण्ड

17-(1) नियोजक नियत प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें समस्त आरोपित अर्थ-दण्ड तथा उनकी वसूली दर्ज की जायेगी।

अर्थ-दण्ड का रजिस्टर

(2) कर्मचारियों से वसूल किये गये अर्थ-दण्ड केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये काम में लाये जायेंगे, जो उनके लिये हितकारी हों और जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों।

18-यदि कर्मचारी की मजदूरी का भुगतान इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित रीति से न किया जाय तो वह पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट, 1936 में व्यवस्थित रीति से इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह उक्त एक्ट के अधीन देय मजदूरी (wages) हो।

मजदूरी की वसूली एक्ट संख्या 4, 1936

19-(1) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी अपने नियोजक द्वारा सेवा से मुक्त न किया जायेगा सिवाय उस दशा के जब -

नियोजक द्वारा अपने कर्मचारी को सेवामुक्त किया जाना

(क) उसके द्वारा घृत पद की छंटनी कर दी गयी हो ; या

(ख) वह शारीरिक अशक्तता या लगातार अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने के अयोग्य हो ;

और उस पर ऐसा लिखित नोटिस तामील कर दिया गया हो जिसमें सेवामुक्त करने के कारण दिये हों। नोटिस कम से कम तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का होगा जो नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि सेवा मुक्ति का नोटिस उक्त अवधि से कम का भी हो सकता है यदि उसके साथ, उतने दिनों की मजदूरी का, जितने से वह नोटिस अपेक्षित अवधि से कम का हो, भुगतान किया जाय।

(2) उपधारा (1) की कोई बात अनाचार के कारण पदच्युत किये जाने पर प्रवृत्त न होगी।

20-(1) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का, जो उसके नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो, नोटिस दिये बिना अपना नियोजन समाप्त नहीं करेगा।

कर्मचारी द्वारा नियोजन समाप्त किया जाना

(2) यदि कर्मचारी उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन न करे, तो पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि की उसकी अदत्त मजदूरी उसके नियोजक के हक में जब्त की जा सकती है ।

अध्याय-5

बच्चों और स्त्रियों का नियोजन

21-ऐसे नियोजन में जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किया जाये शिशिक्षु के रूप में काम करने के सिवाय, न तो किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम करने की किसी बच्चे से अपेक्षा की जायगी और न उसे उसमें काम करने दिया जायगा ।

बच्चों के नियोजन का निषेध

1[22-यदि किसी नियोजक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु सदन, महिला प्रसाधन, उनकी सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण तथा दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान से उनके निवास तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह स्त्री कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उसे रात्रि 9:00 बजे और प्रातः 6:00 बजे के मध्य कार्य करने दे सकता है ।]

रात्रि में स्त्रियों तथा बच्चों के नियोजन का निषेध

23-कोई भी नियोजक जानबूझ कर किसी स्त्री से, उसके बच्चा पैदा होने के बाद के दिन से छः सप्ताह की अवधि में, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में न काम करने की अपेक्षा करेगा और न उसे काम करने देगा और न ऐसी कोई स्त्री उस अवधि में किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम करेगी ।

विशिष्ट अवधि में स्त्रियों के नियोजन का निषेध

24-(1) कोई गर्भवती स्त्री-कर्मचारी पूरे सात दिन का लिखित नोटिस देकर, अपने नियोजक से, उस अवधि तक अपने को कार्यमुक्त करने की अपेक्षा कर सकती है, जो प्रसव के सम्भावित दिनांक से पूर्व छः सप्ताह से अधिक न हो ।

गर्भवती होने पर अनुपस्थित रहने का अधिकार

(2) नोटिस मिलने पर नियोजक, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त स्त्री-कर्मचारी को, प्रसव के संभावित दिनांक को समाप्त होने वाली छः सप्ताह का अवधि के लिये, कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।

(3) (क) नियोजक, नोटिस मिलने पर, उस स्त्री-कर्मचारी से, यदि वह चाहे तो किसी महिला डाक्टर से, अन्यथा किसी अर्हता सम्पन्न चिकित्सा-व्यवसायी या दार्ड से, उस (नियोजक के) व्यय पर चिकित्सकीय परीक्षा कराने की अपेक्षा कर सकता है ।

(ख) यदि —

(1) स्त्री-कर्मचारी ऐसे चिकित्सकीय परीक्षा कराने से इंकार करे ; या

(2) उसकी उक्त परीक्षा किये जाने पर यह पाया जाय कि वह गर्भवती नहीं है, या यह कि उसके उस दिनांक से छः सप्ताह के भीतर प्रसव की कोई सम्भावना नहीं है जब से कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा मांगी गयी हो,

तो नियोजक उसे कार्य से मुक्त करने से इंकार कर सकता है, किन्तु यदि स्त्री-कर्मचारी गर्भवती पायी जाय तो प्रसव के सम्भावित दिनांक के पूर्व छः सप्ताह की अवधि के लिये उसे कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जायगी ।

2[25-गर्भावस्था की दशा में कोई स्त्री कर्मचारी, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और प्रसूति अवकाश के लिए हकदार होगी ।]

प्रसूति छुट्टी

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2018 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2018 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

26-प्रत्येक स्त्री-कर्मचारी, जो अपने प्रसव के दिनांक से पहले कम से कम छः मास तक एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में (चाहें एक ही दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में या विभिन्न दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों में) रही हो अपने नियोजक से -

प्रसूति-लाभ

(क) प्रसव के दिन से ठीक छः सप्ताह पूर्व तक की अवधि के लिये ; और

(ख) प्रसव के दिन से छः सप्ताह बाद तक की अवधि के लिये, ऐसे प्रसूति-लाभों को और ऐसी रीति से पाने की हकदार होगी, जो नियत की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्त्री-कर्मचारी किसी भी ऐसे दिन के लिये इस प्रकार का कोई लाभ पाने की हकदार न होगी, जिस दिन वह, उपर्युक्त अवधियों में से किसी भी अवधि में काम पर आती रही हो और उसके लिये मजदूरी पाती रही हो ।

27-स्त्री-कर्मचारी अपने बच्चे के स्तनपान की अवधि में, विश्राम के नियमित अन्तर्कालों के साथ-साथ उपर्युक्त प्रयोजन के लिये आध-आध घंटे के दो और अन्तर्कालों की हकदार होगी ।

विश्राम के लिये अन्तर्काल

28-(1) कोई भी नियोजक किसी स्त्री-कर्मचारी को धारा 25 के अधीन काम से अनुपस्थित रहने की अनुमत अवधि में या उस अवधि में काम से अनुपस्थित रहने के कारण न तो सेवा से मुक्त करेगा और न सेवा से हटायेगा ।

प्रसूति के कारण काम से अनुपस्थित रहने की अवधि में या अनुपस्थिति के कारण, सेवामुक्त करने या सेवा से हटाने का निषेध

(2) यदि इन्सपेक्टर की यह राय हो कि ऐसा बिना पर्याप्त कारण से किया गया है तो, प्रसव के दिनांक के छः मास के भीतर सेवा से मुक्त कर दी जाने या हटा दी जाने के कारण ही कोई स्त्री-कर्मचारी उन प्रसूति-लाभों से वंचित नहीं की जायेगी जिनकी कि वह सेवा से मुक्त न होने या हटाये न जाने की दशा में हकदार होती ।

1[28-क]— (1) प्रत्येक नियोजक को दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक उपयुक्त स्थलों पर स्वास्थ्यप्रद पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति का उपबन्ध करने और उसे अनुरक्षित करने के लिये प्रभावी व्यवस्था करना होगा ।

कल्याणकारी उपबन्ध

(2) प्रत्येक नियोजक को पुरुष और महिला के लिए पृथक-पृथक शौचालय और मूत्रालय की यथाविहित रूप में व्यवस्था करना होगा जो इस प्रकार से सुविधाजनक रूप में अवस्थित होंगे, जो दुकान या अधिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों की पहुँच में हों :

परन्तु उस दशा में, जब स्थान की कमी या अन्यथा कारण से किसी दुकान या अधिष्ठान में ऐसा करना संभव न हो, तो कतिपय नियोजक सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं ।

(3) ऐसी प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें बीस या उससे अधिक स्त्री कर्मकार सामान्यता नियोजित हों, ऐसी स्त्री कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए शिशु सदन के रूप में उपर्युक्त कक्ष उपलब्ध कराये जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जायेगा :

परन्तु यदि दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह एक किलोमीटर के घेरे के भीतर सामूहिक शिशु सदन उपलब्ध कराने का विनिश्चय करता है तो उसकी अनुमति निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी ।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 29, 2018 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।

(4) प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर यथाविहित रूप में प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

(5) राज्य सरकार नियोक्ता से ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें 250 से अन्यून कर्मकार नियोजित हों या सामान्यता नियोजित हों, उन कर्मकारों के उपयोग के लिए कैंटीन की व्यवस्था करने और उसे अनुरक्षित करने की अपेक्षा करेगी :

परन्तु यदि कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह सामूहिक कैंटीन की व्यवस्था करने का विनिश्चय करता है तो उसे निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जायेगी।

(6) राज्य सरकार नियोक्ता से ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें 250 से अन्यून कर्मकार नियोजित हों या सामान्यता नियोजित हों, उन कर्मकारों के उपयोग के लिए कैंटीन की व्यवस्था करने और उसे अनुरक्षित करने की अपेक्षा करेगी ;]¹

अध्याय-6

प्रवर्तन तथा शास्तियां

29—राज्य सरकार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये एक मुख्य निरीक्षक और एक उप मुख्य निरीक्षक और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये उतने निरीक्षक, जितने आवश्यक समझे जायं, नियुक्त कर सकती है।

इंस्पेक्टरों की नियुक्ति

30—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाये, इन्सपेक्टर हर उचित समय पर किसी ऐसे स्थान में, जो दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान हो या जिसे दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान मानने का उसके पास कारण हो, वहां रखे रजिस्ट्रों, अभिलेखों या अन्य लेख्यों की जांच करने के प्रयोजनार्थ, प्रवेश कर सकता है। इन्सपेक्टर अपनी सहायता के लिये ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ ले जा सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे और उस स्थान का, जो उस समय स्वामी या अध्यासी हों, वह उन्हें प्रवेश करने देगा तथा उक्त रजिस्ट्रों, अभिलेखों या लेख्यों की जांच करने देगा। इन्सपेक्टर उनमें से ऐसे रजिस्ट्रों, अभिलेखों या अन्य लेख्यों का अभिग्रहण कर सकता है, जिनकी उसे इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन सिद्ध करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा हो।

इंस्पेक्टरों का प्रवेश करने आदि का अधिकार

31—धारा 29 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक तथा प्रत्येक निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में पब्लिक सरवेन्ट (लोक-सेवक) समझे जायेंगे।

निरीक्षक आदि लोक सेवक होंगे—
ऐक्ट संख्या 45, 1860

32—नियोजक ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख रखेगा और ऐसे नोटिस प्रदर्शित करेगा, जो नियत किये जायं।

रजिस्टर आदि

33—प्रत्येक व्यक्ति जो, धारा 20 की उपधारा (1) के उपबन्धों से भिन्न, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे या उनका अनुपालन न करे, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी होगा।

उपबन्धों का उल्लंघन

34—(1) यदि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय

कम्पनियो आदि द्वारा अपराध

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 2018 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

उसका कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का अवधायक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय, कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा यह कि अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

35—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को अर्थ—दण्ड दिया जा सकेगा जो प्रथम अपराध के लिये एक सौ रुपये तक तथा प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

दण्ड

36—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान (cognizance) न करेगा जब तक कि कथित अपराध किये जाने के दिनांक से छः मास के भीतर लिखित अभियोग प्रस्तुत न किया जाय।

अभियोजन की कालावधि

(2) कोई भी न्यायालय, जो द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से, निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी अपराध की सुनवाई न करेगा।

न्यायालय जो इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकृत होंगे

1 [(3) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् मुख्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत अर्थ दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस को ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन —

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, जहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।]

अध्याय—7

विविध

37—इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना में किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी।

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण

38—जब कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान वस्तुतः खुला हो तो परिकल्पना (presumption) यह की जायेगी कि वह किसी ग्राहक की सेवा के लिये या दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में सामान्यतः किये जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिये खुला है।

परिकल्पना

39—वर्कमेंस कम्पेन्सेशन ऐक्ट, 1923 तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध, दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी पर, आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

वर्कमेंस कम्पेन्सेशन ऐक्ट तथा रूल्स का प्रवृत्त होना ऐक्ट संख्या 8, 1923

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये [अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है]¹।

नियम बनाने का अधिकार

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के संबंध में नियम बना सकती है, अर्थात् —

- (क) नियोजक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख ;
- (ख) नियोजक द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस ;

2 [(ख-1) अध्याय 1—क के अधीन दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के रजिस्टर का प्रपत्र ;

(ख-2) अध्याय 1—क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस ;

(ख-3) अध्याय 1—क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र का प्रपत्र ;]

(ग) कटौतियां, जो कर्मचारी की मजदूरी से की जा सकती है ;

(घ) अर्थ—दण्ड तथा पदच्युति ;

(ङ) आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति और उक्त छुट्टी की अवधि की मजदूरी के भुगतान को विनियमित करना ;

(च) अन्य छुट्टियों की स्वीकृति को विनियमित करना ;

(छ) प्रसूति—लाभ और उनका भुगतान ; और

(ज) ऐसे विषय, जो इस अधिनियम के अधीन नियत किये जाने हों या जो नियत किये जा सकें।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियम इसी शर्त पर बनाये जा सकेंगे कि उनका पूर्व प्रकाशन किया जाय।

(4) [***]³

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 54, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 54, 1976 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ० प्र० अधिनियम सं० 54, 1976 की धारा 4 (iii) द्वारा निकाला गया।

41—यूनाइटेड प्राविंसेज शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेन्ट्स ऐक्ट, 1947
निरस्त किया जाता है ।

निरसन यू० पी०
ऐक्ट संख्या 22,
1947

अनुसूची 1

[धारा 1 (3) देखिये]

भाग क

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों तथा वाणिज्य अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे :-

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
1—आगरा	म्युनिसिपल तथा कैंटोनमेन्ट क्षेत्र
2—इलाहाबाद	तदैव
3—बरेली	तदैव
4—कानपुर	तदैव
5—देहरादून	तदैव
6—झांसी	तदैव
7—मेरठ	तदैव
8—मसूरी	तदैव
9—मथुरा	तदैव
10—नैनीताल	तदैव
11—सीतापुर	तदैव
12—रामपुर	तदैव
13—शाहजहांपुर	तदैव
14—वाराणसी	म्युनिसिपल तथा कैंटोनमेन्ट क्षेत्र और लंका, विद्यापीठ रोड, भोजूबीर, शिवपुर और पांडेपुर के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
15—लखनऊ	म्युनिसिपल तथा कैंटोनमेन्ट क्षेत्र और चारबाग, आलमबाग, नोटीफाइड एरिया और चांदगंज कला, आलमबाग और मवइया के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
16—फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़	म्युनिसिपल तथा कैंटोनमेन्ट क्षेत्र और लालबाग, बड़पुर, नेकपुर और भोलेपुर के आसन्नवर्ती क्षेत्र ।
17—अलीगढ़	म्युनिसिपल क्षेत्र

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
18—फिरोजाबाद	म्युनिसिपल क्षेत्र
19—फैजाबाद	तदैव
20—गोरखपुर	तदैव
21—हापुड़	तदैव
22—हाथरस	तदैव
23—मुजफ्फरनगर	तदैव
24—सहारनपुर	तदैव
25—गोन्डा	तदैव
26—गाजियाबाद	तदैव
27—कायमगंज	तदैव
28—मिर्जापुर	तदैव
29—बुलन्दशहर	तदैव
30—बाराबंकी	तदैव
31—बांदा	तदैव
32—हरदोई	तदैव
33—जौनपुर	तदैव
34—पीलीभीत	तदैव
35—उरई	तदैव
36—बहराइच	तदैव
37—सुल्तानपुर	तदैव
38—आजमगढ़	तदैव
39—इटावा	तदैव
40—रायबरेली	तदैव
41—पडरौना	तदैव
42—हमीरपुर	तदैव
43—बस्ती	तदैव
44—मैनपुरी	तदैव
45—उन्नाव	तदैव
46—प्रतापगढ़	तदैव
47—देवरिया	तदैव

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
48—लखीमपुर—खीरी	म्युनिसिपल क्षेत्र
49—गाजीपुर	तदैव
50—बिजनौर	तदैव
51—फतेहपुर	म्युनिसिपल क्षेत्र तथा कलक्टरगंज, हरिहरगंज, रेलबाजार, देवीगंज और राधानगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र
52—कन्नौज	म्युनिसिपल क्षेत्र और सराय श्रीरन और मकरन्दनगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र
53—बलिया	म्युनिसिपल क्षेत्र
54—चन्दौसी	तदैव
55—कासगंज	तदैव
56—भदोई (वाराणसी)	तदैव
57—रामनगर (नैनीताल)	तदैव
58—हल्द्वानी	तदैव
59—शामली (मुजफ्फरनगर)	तदैव
60—बदायूं	तदैव
61—शिकोहाबाद (मैनपुरी)	तदैव
62—काशीपुर (नैनीताल)	तदैव
63—महोबा (हमीरपुर)	तदैव
64—मुरादाबाद	म्युनिसिपल क्षेत्र और रेलवे सेटिलमेन्ट नोटिफाइड एरिया, रेलवे स्टेशन और रेलवे इंस्टीट्यूट ।

भाग ख

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों तथा वाणिज्य अधिष्ठानों पर धारा 2, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 32, 33, 34, 35 और 40 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे :—

नाम	क्षेत्र जिनमें उक्त धाराएं प्रवृत्त होंगे
1—रूड़की	म्युनिसिपल तथा कैंटोनमेन्ट क्षेत्र
2—खुर्जा	म्युनिसिपल क्षेत्र

नाम	क्षेत्र जिनमें उक्त धाराएं प्रवृत्त होंगे
3-हरद्वार	म्युनिसिपल क्षेत्र
4-बलरामपुर (गोण्डा)	तदैव
5-मऊनाथमंजन	तदैव
6-तिलहर	तदैव
7-नगीना	तदैव
8-नजीबाबाद	तदैव
9-देवबन्द (सहारनपुर)	तदैव
10-शाहाबाद (हरदोई)	तदैव
11-पंडितवारी (देहरादून)	तदैव
12-जालौन	तदैव
13-अमेठी	तदैव
14-करवी (बांदा)	तदैव
15-मुगलसराय	तदैव
16-टांडा (फैजाबाद)	तदैव
17-गौरा-बरहज (देवरिया)	तदैव
18-कौराना (मुजफ्फरनगर)	तदैव
19-बड़ौत (मेरठ)	तदैव
20-वृन्दावन (मथूरा)	तदैव
21-मवाना (मेरठ)	तदैव
22-जलालपुर (फैजाबाद)	तदैव
23-कोटद्वारा (गढ़वाल)	तदैव
24-एटा	तदैव
25-ललितपुर (झांसी)	तदैव
26-मऊरानीपुर (झांसी)	तदैव
27-सम्भल (मुरादाबाद)	तदैव
28-अमरोहा (मुरादाबाद)	तदैव
29-चांदपुर (बिजनौर)	तदैव
30-अल्मोड़ा	तदैव
31-बीसलपुर (पीलीभीत)	तदैव
32-बिसवां (सीतापुर)	तदैव

नाम	क्षेत्र जिनमें उक्त धाराएं प्रवृत्त होंगे
33—गोलागोकरननाथ (खीरी)	म्युनिसिपल क्षेत्र
34—कोंच (जालौन)	तदैव
35—कालपी (जालौन)	तदैव
36—खतौली (मुजफ्फरनगर)	तदैव
37—औरैया (इटावा)	तदैव
38—धामपुर (बिजनौर)	तदैव
39—सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)	तदैव
40—ऋषिकेश (देहरादून)	तदैव
41—उझानी (बदायूं)	तदैव
42—भरथना (इटावा)	टाउन एरिया
43—रसड़ा (बलिया)	नोटिफाइड एरिया
44—शाहगंज (जौनपुर)	तदैव
45—छिबरामऊ (फर्रुखाबाद)	टाउन एरिया
46—मोदीनगर (मेरठ)	तदैव

भाग ग

राज्य में स्थित वेक्यूम पान शुगर फ़ैक्टरियों के उन सब कर्मचारियों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे, जिन पर कि फ़ैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होते हैं।

भाग घ

राज्य में स्थित सब गन्ना सहकारी समितियों के वाणिज्य-अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची 2

(दुकानों तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जिन पर धारा 5 तथा 8 के उपबन्ध प्रवृत्त न होंगे।)

1—ऐसी दुकानें तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जो अनन्यतः या मुख्यतः भोजन, जलपान, समाचार-पत्रों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं, औषधियों, चिकित्सकीय तथा शल्य उपकरणों, शाक-सब्जी, मिठाइयों, दूध, पकाये हुए भोजन, फूल, पान और सुपारी, मांस-मछली, कुक्कुटादि (Poultry), शिकार किये हुए पशु-पक्षी, अण्डों, बर्फ तथा ताजे फल और हरे चारे का व्यवसाय करते हों।

2—सिनेमा, नाट्यशाला तथा सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के अन्य स्थान।

3—क्लब तथा निवास-स्थान युक्त होटल।

4-रेल के स्टेशनो पर के स्टाल तथा जलपान-गृह।

5-ऐसी दुकानें जो मोटर स्प्रिट तथा मोटर अथवा वायुयान के अतिरिक्त भागों और सहायक सामान की बिक्री करते हों।

6-नाइयों तथा केश-प्रसाधकों की दुकानों तथा अधिष्ठान।

7-सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऐसी दुकानें तथा अधिष्ठान जो मद्यद्रवों या स्वापक भेषजों (Narcotic drugs) का व्यवसाय करते हों।

8-अनन्यतः या मुख्यतः शव दफनाने, अन्त्येष्टि के लिए ले जाने तथा दाह-संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुओं का व्यवसाय करने वाली ऐसी दुकाने, जो नियत रीति से कलेक्टर द्वारा विज्ञापित की जायें।

9-अनन्यतः या मुख्यतः पेट्रोमैक्स, बैण्ड तथा लाउड स्पीकर, जिनकी अपेक्षा विवाह तथा अन्य अनुष्ठानों के अवसरों के लिए की जाती है, किराये पर देने का व्यवसाय करने वाली दुकानें।

10-पूर्त प्रयोजनों के लिए आयोजित प्रदर्शनी, सार्वजनिक प्रदर्शन, मेलों या बाजारों में दुकान।

11-परिवहन सेवाएं।

12-बिजली तथा जल-सम्भरण प्रतिष्ठान।

13-अनन्यतः या मुख्यतः साइकिलों, रिक्शों, तांगा, इक्का तथा बैलगाड़ी की मरम्मत करने वाली दुकानें।

**THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA
ADHISHTHAN ADHINIYAM, 1962¹**

[U. P. ACT NO. XXVI OF 1962]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 25, 1962 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 1, 1962 with amendments which was approved by the Uttar Pradesh Legislative Council on November 5, 1962.

Received the assent of the President on December 18, 1962 under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated December 26, 1962.]

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to the regulation of conditions of work and employment in the shops and commercial establishments

It is hereby enacted in the thirteenth year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title,
extent and
application

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Dookan aur Vanijya Adhishtan Adhiniyam, 1962.
- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) The provisions of this Act referred to in Schedule I shall, in the areas mentioned in the said Schedule, apply to the extent specified therein and the State Government may from time to time, direct, by notification in the Gazette, that all or any of the provisions of this Act shall also apply in relation to such areas and to such extent as may be specified in the notification.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-
 - (1) 'apprentice' means a person, not being, a person below the age of 12 years, employed for purposes of training, with or with-out wages, by an employer in any trade or calling ;
 - [(1-A) 'Chief Inspector' means the Chief Inspector appointed under section 29 and, includes a Deputy Chief Inspector or Inspector appointed under that section;]²
 - (2) 'child' means a person who has not completed his fourteenth year ;
 - (3) 'close' means not open within the meaning of clause (13) ;

1. For Statement of Object and Reasons, see U. P. Gazette, extraordinary dated September 15, 1962.

2. Added by section 2 (1) of U.P. Act No. 54 of 1976

Act LXIII of
1948

- (4) 'commercial establishment' means any premises, not being the premises of a factory, or a shop, wherein any trade, business, manufacture, or any work; in connexion with, or incidental or ancillary thereto, is carried on for profit and includes a premises wherein journalistic or printing work, or business of banking, insurance, stocks and shares, brokerage or produce exchange is carried on, or which is used as theatre, cinema, or for any other public amusement or entertainment, or where the clerical and other establishment of a factory, to whom the provisions of the Factories Act, 1948, do not apply, work;
- (5) 'day' means the period of 24 hours beginning at midnight:
- Provided that in the case of an employee, whose hours of work extend beyond midnight, day means the period of 24 hours beginning from the hour of commencement of his duty ;
- (6) "employee" means a person wholly or mainly employed on wages by an employer in, or in connexion with any trade, business or manufacture carried on in a shop or commercial establishment, and includes----
- (a) caretaker, mali or a member of the watch and ward staff;
 - (b) any clerical or other staff of a factory or industrial establishment, which is not covered by the provisions of the Factories Act, 1948; and
 - (c) any apprentice or a contract or piece-rate worker;
- (7) "employer" means a person who owns, or who holds charge of, or has ultimate control over the trade, business or manufacture carried on in a shop or commercial establishment, as the case may be, and includes the manager, agent or any other person acting on behalf of the employer in the management or control of such trade, business or manufacture ;
- (8) "factory" shall have the meaning assigned to it in the Factories Act, 1948, so however as not to include the premises where the clerical or other establishment of a factory, to whom the provisions of that Act do not apply, work;
- (9) "family" in relation to an employer means the husband or wife, as the case may be, son, daughter, father, mother, brother or sister of such employer, who lives with and is wholly dependent on him;
- (10) "inspector" means an Inspector, Deputy Chief Inspector or the Chief Inspector, appointed under section 29 of this Act ;
- (11) "leave" means the period of absence from duty with wages to which an employee is entitled under Chapter III of this Act ;
- (12) "night" means such period of twelve consecutive hours, So however as always to include the interval between 10 p.m. and 6 a.m., as may be prescribed;
- (13) "open" in relation to a shop or commercial establishment means open for the service of any customer, or for the business trade or manufacture, normally carried on in the Shop or commercial establishment ;

[(13A) 'Owner', in relation to a shop or commercial establishment includes a person who runs or is incharge of such shop or commercial establishment;]¹

(14) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act ;

(15) "retail trade or business" means the business of sale of goods in small quantities and the rendering of services to customers, and includes the business of a barber or hair-dresser, the sale of cooked food, refreshments or intoxicating liquors and retail sale by auction ;

(16) "shop" means any premises where any wholesale or retail trade or business is carried on, or where services are rendered to customers, and includes all offices, godowns or warehouses, whether in the same premises or not, which are used in connexion with such trade or business;

(17) "State" means the state of Uttar Pradesh ;

(18) "wages" means all remuneration (whether by way of salary, allowances or otherwise) expressed in terms of money, or capable of being so expressed, which would if the terms of employment, express or implied, were fulfilled, be payable to an employee, and includes---

(a) any bonus ;

(b) any sum payable to the employee by reasons of the termination of his employment ; and

(c) any additional remuneration payable under the terms of his employment ;

(19) "week" means a period between the midnight on Saturday and the midnight on the following Saturday; and

(20) "young person", means a person who is not a child and has not completed his seventeenth year.

The provisions of the Act not to apply to certain persons, shops and commercial establishments

3. (1) The provisions of this Act shall have no application to---

(a) employees occupying positions of confidential, managerial or supervisory character in a shop or commercial establishment, wherein more than five employees are employed :

Provided that the number of employees so exempted in a shop or commercial establishment shall not exceed ten per cent of the total number of employees thereof ;

(b) employees whose work is inherently intermittent, as in the case of a traveler or canvasser ;

(c) offices of Government or local authorities ;

(d) offices of the Reserve Bank of India ;

1. Added by section 2 (ii) of U.P. Act No. 54 of 1976

- (e) establishments for the treatment or care of the sick, infirm, destitute or mentally unfit; and
- (f) members of the family of an employer;
- (2) A list of the employees referred to in clause (a) of sub-section (1) shall be displayed at a conspicuous place in the shop or commercial establishment and a copy thereof shall be sent to the Inspector concerned.
- (3) The State Government may, in public interest, by notification in the Gazette, exempt, subject to such conditions as it may impose in this behalf, any shop or commercial establishment or any class of Shops or commercial establishments from the operation of all or any of the provisions of this Act.
- (4) The State Government may, likewise by notification in the gazette, withdraw in whole or in part, permanently, or for such period as may be specified, any exemption granted under sub-section (3).
- Powers of the Government to exempt any class of shops or Commercial establishments from the operation of the Act
Withdrawal of exemption by State Government

- Savings 4. Nothing contained in this Act shall adversely affect any right or privilege to which any employee may be entitled, on the date on which this Act begins to apply to him, under any law, award, agreement, contract, custom or usage, in force on that date.

[CHAPTER I-A

Registration of shops and Commercial Establishments

- Register of shops and commercial establishments 4-A The Chief Inspector shall maintain in such form and containing such particulars as may be prescribed, a register of all shops and commercial establishments, to which this Act applies :
- Provided that different such registers may be maintained for different areas and for different classes of shops and commercial establishments.
- Registration 4-B (1) Every owner of a shop or commercial establishment shall within three months of the commencement of such business or within three months of the commencement of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sansodhan) Adhiniyam, 1976, whichever is later, apply to the Chief Inspector for registration of his shop or commercial establishment.
- (2) Every application for registration under sub-section (1) shall be in such form and shall be accompanied by such fees as may be prescribed.
- (3) The Chief Inspector shall, on being satisfied that the prescribed fee has been deposited, register the shop or commercial establishment in the register maintained under section 4-A and shall issue a certificate of registration to the owner in such form and in such manner, as may be prescribed.
- Term and renewal of registration certificate 4-C The registration certificate granted under section 4-B shall be valid for such period as may be prescribed, and shall on an application being made in that behalf and upon payment of the prescribed fees, be renewable from time to time by the Chief Inspector for such further period as may be prescribed.

Duplicate Registration certificate	4-D	When a registration certificate is lost, destroyed or torn, or is defaced or otherwise becomes illegible, the Chief Inspector shall in the manner prescribed and on payment of the prescribed fee, issue a duplicate registration certificate.] ¹
--	-----	--

CHAPTER II

HOURS OF BUSINESS

Hours of business	5.	<p>(1) No shop or commercial establishment, not being a shop or commercial establishment mentioned in Schedule II, shall, on any day, open earlier, or close later than such hour as may be prescribed in this behalf.</p> <p>(2) Notwithstanding the provisions of sub-section (1), earlier opening, or later closing, hour's party be prescribed for different classes of shops or commercial establishments, or for different areas, or for different periods of the year.</p> <p>(3) The State Government may, at any time, by notification in the Gazette, add to or remove from Schedule II, any class of shop or commercial establishments.</p>
----------------------	----	--

Hours of work and overtime	6.	<p>(1) No employer shall require or allow an employee to work on any day for more than :--</p> <p>(a) five hours in the case of a child;</p> <p>(b) six hours in the case of a young person ; and</p> <p>(c) eight hours in the case of any other employee :</p>
-------------------------------	----	--

Provided that any employee, not being a young person or a child, may be required or allowed to work longer than the aforesaid hours of work, so however, that the total number or hours of work (including overtime) does not exceed ten on any one day except on a day of stock-taking or making of accounts:

Provided further that the total number of hours of overtime work shall not exceed fifty in any quarter.

Explanation-- "quarter" means a period of three consecutive months beginning on the 1st of January, the 1st of April, the 1st of July or the 1st of October.

- (2) An employee, who has worked in excess of the hours of work fixed under clause (c) of sub-section (1), shall be paid by his employer wages at twice the ordinary rate, for every hour of such overtime work.

Explanation 1--- For the purposes of this sub-section, ordinary rate means the basic wages plus such allowances (including the cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to employees of foodgrains and other articles), as the employee is for the time being entitled to but does not include bonus.

Explanation 2- In calculating the wages payable to an employee for overtime Work, a day shall be reckoned as consisting of eight working hours.

Intervals for rest and spread over of working hours in a day

7. The working hours in a shop or commercial establishment shall be so arranged that each employee gets an interval of not less than half an hour for rest after not more than five hours of continuous work, and the periods of work and intervals of rest of an employee do not spread over more than twelve hours in one day;

Provided that the State Government may, in public interest and subject to such conditions as it may consider necessary or expedient, increase the said spread over period either generally or for a class of shops or commercial establishments.

CHAPTER III HOLIDAYS AND LEAVE

Close days

8. (1) Every employer shall keep his shop or commercial establishment, not included in Schedule II, closed on-
- (a) one day in a week ; and
 - (b) such public holidays in a years as may be prescribed, to be hereinafter referred to, as close days,
- (2) The choice of a close day, not being a close day which is a public holiday shall, subject to the approval of the authority appointed by the state Government in this behalf, rest with the employer. A notice specifying all close days shall be prominently displayed by the employer in a conspicuous place in the shop or commercial establishment.
- (3) The close day shall not be altered by the employer except once in a year and with the approval of the authority appointed under sub-section (2), to be obtained in the manner prescribed. Any such alteration shall take effect as from the first day of January of the year following :

Provided that where the employers in one locality do not observe' the same day of the week as the close day, the authority appointed under sub-section (2) may, in the manner prescribed; fix a day as, the close day for such locality :

Provided further that the authority may, on the written request of the majority of the employers in a locality, at anytime after six months from the date on which a close day was earlier fixed, alter, with effect from a date to be specified by him, the close day, not- being a close day which is a public holiday.

Explanation:-- "locality" means any compact area declared as such by public notice by the authority appointed under sub-section (2).

Holidays

9. Every employee, not being a watchman or a caretaker, shall be allowed by the employer holiday on-
- (i) every close day which is a public holiday ; and
 - (ii) one whole day in each week:

Provided that nothing in clause (ii) shall apply to any employee whose total period of employment in the week (including any day spent on leave or any holiday), is less than six days.

Earned leave,
sickness leave
and casual
leave

10. (1) Every employee, who has been in continuous employment of the Same employer for a period of twelve months or over, shall, in addition to any holiday allowed under section 9, be entitled to earned leave for not less than fifteen days for every twelve months of such service:

Provided that a watchman or a caretaker who has been in continuous employment for a period of twelve months or over shall be, entitled to not less than sixty days earned leave for every twelve months of such service.

- (2) Every employee; who has been in continuous employment of the same employer for a period of six months or over shall, subject to such conditions as may be prescribed, be further entitled to sickness leave for not less than fifteen days in anyone calendar year.
- (3) Every employee shall, subject to such conditions as may be prescribed, be also entitled, in addition to earned leave and sickness leave, to casual leave for not less than ten days in anyone calendar year.
- (4) Subject to the provisions of the rules made under this Act, all leave shall be granted when applied for.
- (5) Any earned leave not availed of in any year by an employee shall be added to such leave accruing to the employee in the year following:

Provided that the total period of earned leave admissible to all employees at any time shall not exceed 45 days.

- (6) In computing the period of continuous employment of an employee within the meaning of sub-section (1) or (2), the period during which he has been on leave under this section-shall he included.
- (7) Where the services of an employee are terminated by his employer, or where the employee terminates the employment, the employer shall be liable to pay to the employee wages for the number of days for which the earned leave is due to him.

Payment for
leave refused

11. (1) When earned leave is refused to an employee having to his credit such leave for forty-five days, he shall be entitled, in respect of the period covered by the refusal, to an amount which would have been payable to him as wages for the period in case he had been on leave during that period.
- (2) The amount payable under sub-section (1) shall be in addition to the wages payable for the period.
- (3) On an employee receiving the said amount, the earned leave to his credit shall be reduced by the number of days in respect of which such amount is received.

Wages for
holidays and
leave

12. For every holiday, and for each day of leave allowed under this Act, the employee shall be entitled to wages at a rate not less than that rate to which the employee was entitled for the day immediately preceding the holiday or the day of leave availed by him, anything to the contrary contained in any other law, contract, custom or usage notwithstanding.

CHAPTER IV**WAGE DEDUCTIONS AND NOTICES OF DISCHARGE**

- | | | |
|---|-----|--|
| Wage period | 13. | <p>(1) Every employer shall fix a period, (hereinafter referred to as the wages period), at the expiry, and in respect, of which wages shall be payable to his employees.</p> <p>(2) No wage period shall exceed one month.</p> <p>(3) The wages of every employee shall be paid-within such period as may be prescribed.</p> <p>(4) The remuneration due to an employee in lieu of unavailed period of leave, and the wages earned by him, shall be paid-</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) where the termination of his employment is by or on behalf of the employer, before the expiry of the second working day after such termination ; and</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) where the termination of his employment is by the employee, on or before the next pay day.</p> |
| Payment of wages for the period of earned leave | 14. | <p>(1) An employee proceeding on earned leave shall, on demand, be given advance payment of the wages for half the period of the leave, and the wages for the wage period immediately preceding such leave. The wages, for the remaining half period of such leave shall be payable to him along With the wages for the first wage period after he resumes duty.</p> <p>(2) The wages for the period of sickness leave shall be payable to the employee along With his wages for the first wage period after he resumes duty.</p> |
| Deductions from wages | 15. | No deductions from the wages of an employee shall be made except to such extent, and in such manner, as may be prescribed. |
| Fines on employees | 16. | No fines in excess of three per cent of the wages payable to an employee for any wage period shall be imposed on him by the employer. |
| Register of fines | 17. | <p>(1) The employer shall maintain a register in the prescribed form, wherein shall be entered all fines Imposed and recoveries thereof.</p> <p>(2) Fines recovered from employees shall be applied only to such purposes as may be beneficial to them and approved by the authority empower in this behalf by the State Government.</p> |
| Recovery of wages | 18. | The wages of an employee if not paid as provided by or under this Act, shall be recoverable in the manner provided in the Payment of Wages Act, 1936, as if the same were wages payable under that Act. |

- Discharge of employee by his employer
19. (1) No employee, other than an employee engaged for a specified period or in a leave vacancy, shall be discharged from service by his employer except on the ground that-
- (a) the post held by him has been retrenched : or
- (b) he is unfit to perform his duties on the ground of physical infirmity or continued ill- health;
- and he has been served with a notice in writing containing the grounds of discharge. The notice shall be for a period of not less than thirty days, or such longer period as may be required. under the terms of employment:
- Provided that the notice of discharge may be of a shorter period if the same is accompanied with payment of wages to the employee for the number of days the notice is short of the required period.
- (2) Nothing in sub-section (1) shall apply to dismissal for misconduct.
- Termination of employment by an employee
20. (1) No employee, other than an employee engaged for a specified period or in a leave vacancy shall terminate his employment except after notice of thirty days, or of such longer period, as may be required under the terms of his employment.
- (2) Where an employee fails to comply with the provisions of sub-section (1), his unpaid wages for Period not exceeding fifteen days may be forfeited to his employer.

CHAPTEER-V

EMPLOYMENT OF CHIDREN AND WOMEN

- Prohibition of employment of children
21. No child shall be required, or, allowed; to work in any shop or commercial establishment except as an apprentice in such employment as may be notified by this, State Government in the Gazette.
- Prohibition of employment of women and children during night
22. No woman or child shall be required, or allowed, to work, whether as an employee or otherwise in any shop or commercial establishment during night.
- Prohibition of employment of women during certain period
23. No employer shall knowingly require or allow a woman to work, and no woman shall work in any shop or commercial establishment during the period of six weeks following the day on which she is delivered of a child.
- Right of absence during pregnancy
24. (1) A pregnant woman employee may, by seven clear days notice in writing, require her employer to relieve her from duty for a period not exceeding six weeks preceding the expected date of delivery.
- (2) On receipt of the notice the employer shall, subject to the provisions of sub-section (3), permit such employee to remain absent from duty, for a period of six weeks ending with the expected date of her delivery.

(3) (a) On receipt of the notice, the employer may require such employee to be examined at his cost by a lady doctor, if she so desires, or, otherwise, by any qualified medical practitioner or a midwife.

(b) if the woman employee-

(i) refuses to submit herself to medical examination; or

(ii) on such examination is found not pregnant, or not, likely to be delivered of a child within six weeks of the date from which permission for absence from duty is desired;

the employer may refuse to relieve her from duty, so however that the employee, if found pregnant, shall be allowed to remain 'absent from duty for a period of six weeks prior to the expected date of her delivery.

Maternity leave 25. The periods of absence from duty in respect of which a woman employee is entitled to maternity benefits under section 26 of this Act, shall be treated as authorized absence from duty, and the woman employee shall be entitled to maternity benefits, but not to any wages, for any of these periods.

Maternity benefit 26. Every woman employee who has been; for a period of not less than six months preceding the date of her delivery, in continuous employment of the same employer, (whether in the same or different shops or commercial establishments), shall be entitled to receive from her employer for the period of-

(a) six weeks immediately preceding the day of delivery; and

(b) six weeks following the day of delivery ;

such maternity benefits and in such manner ,as may be prescribed:

Provided that no woman employee shall be entitled to receive such benefits for a day during on of the aforesaid periods, on Vehicle she attends work and receives wages therefor.

Intervals for rest 27. A woman employee, during the period she is nursing her child, shall, in addition to the regular intervals of rest, be entitled to two breaks of half an hour each for the aforesaid purpose.

prohibition of discharge or, removal from service during or on account of absence from duty owing to confinement 28. (1) No employer shall discharge or remove from service any woman employee on account of, or during the period of, absence from duty allowed to her under section 25.

(2) No woman employee shall, as a result of her discharge or removal from service within six months of the day of her delivery, be deprived of the maternity benefits, which she would have, but for the discharge or removal, been entitled to, if the same is held by the inspector to be without sufficient cause.

CHAPTER VI**ENFORCEMENT AND PENALTIES**

- | | | |
|---|-----|---|
| Appointment of inspectors | 29. | The State Government may appoint a Chief Inspector and a Deputy Chief Inspector, for the whole of Uttar Pradesh, and as many Inspectors for different areas thereof as may be considered necessary. |
| Powers of the inspectors to enter, etc. | 30. | Subject to such conditions as may be prescribed an inspector may, at all reasonable times, enter any place which is or which he has reason to believe to be, a shop or commercial establishment, for the purpose of examining the registers, records or other document kept therein. The inspector may take with him such persons to assist him as he may consider necessary, and the owner or the occupant, for the time being, of the place shall allow them to enter and examine the said registers, records or documents. The inspector may seize such of them as he may require for the purpose of contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder. |
| Inspectors, etc. to be public servants
Act XLV of 1960 | 31. | The Chief Inspector, the Deputy Chief Inspector and every Inspector appointed under section 29, shall be deemed to be to public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. |
| Maintenance of registers and records by the employers | 32. | An employer shall maintain such registers and records and display such notices, as may be prescribed. |
| Contravention of provisions | 33. | Any person, who contravenes, or fails to comply with, any of the provisions of this Act, or of the rules made thereunder, other than those of sub-section (1) of section 20, shall be guilty of an offence under this Act. |
| Offences by companies etc. | 34. | <p>(1) If the person committing an offence under this Act or the rules made thereunder is a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.</p> <p>(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any director, manager secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.</p> |

Explanation-- For the purposes of this section--

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(b) "Director" in relation to a firm is a partner in the firm.

Punishment	35.	Any person guilty of an offence under this Act shall be liable to fine which may, for the first offence, extend to one hundred rupees and, for every subsequent offence, to five hundred rupees.
Limitation of prosecution courts empowered to try offences under this Act	36.	(1) No court shall take cognizance of any offence under this Act or the rules made thereunder, except on complaint in writing made within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed. (2) No court inferior to that of a Magistrate of the Second Class shall try any offence under this Act, or the rules made thereunder.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

Protection of action taken under this Act	37.	No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or authority under this Act, for anything done, or intended to have been done, in good faith, in pursuance of the provisions of this Act or the rules or orders made thereunder.
Presumption	38.	Whenever a shop or commercial establishment is actually opened, it shall be presumed that it is opened for the service of any customer or for the business, trade or manufacture normally carried on in the shop or commercial establishment.
Application of Workmen's Compensation Act and Rules Act No. 8, 1923	39.	The provisions of the Workmen's Compensation Act, 1923 and of the rules made thereunder, shall, <i>mutatis mutandis</i> apply to every employee of a shop or commercial establishment.
Rule making power	40.	(1) The State Government [may by notification make rules] ¹ to carry out the purposes of this Act. (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the State Government may make rules regarding all or any of the following matters; namely- ---- (a) the registers and records to be maintained by an employer ; (b) the notices to be displayed by an employer;

1. Substituted by section 4 (i) of U.P. Act No. 54 of 1976.

[(b-1) the form of register of shops and commercial establishments under Chapter I-A;

(b-2) the fees for registration, for renewal of registration certificate and for issue of duplicate registration certificate under Chapter I-A;

(b-3) the form of registration certificate under Chapter I-A;]¹

(c) deductions that may be made from the wages of an employee ;

(d) fines and dismissals;

(e) regulating the grant of casual leave and the payment of wages for the period of such leave;

(f) regulating the grant of other leave;

(g) maternity benefits and their payment;

(h) matters which are to be, or may be prescribed under this Act.

(3) The rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.

(4) [* * *]²

Repeal
U.P. Act XXII
of 1947

41. The United Provinces Shops and Commercial Establishments Act, 1947, is hereby repealed.

SECHDULE I

See section I (3)

Part A

All the provisions of this Act shall apply to the shops and commercial establishments in the areas mentioned below :-

Name	Area in which all the provisions of this act shall apply
1. Agra	Municipal and Cantonment areas.
2. Allahabad	Ditto.
3. Bareilly	Ditto.
4. Kanpur	Ditto.
5. Dehra Dun	Ditto.
6. Jhansi	Ditto.
7. Meerut	Ditto.
8. Mussoorie	Ditto.
9. Mathura	Municipal and Cantonment areas.
10. Naini Tal	Ditto.
11. Sitapur	Ditto.
12. Rampur	Ditto.
13. Shahjahanpur	Ditto.

1. Substituted by section 4 (ii) of U.P. Act No. 54 of 1976.

2. Omitted by section 4 (iii) of *ibid*.

Name	Area in which all the provisions of this act shall apply
14. Varanasi	Municipal and Cantonment areas and contiguous areas of Lanka, Vidyapith Road, Bhojubir, Shivpur and Pandepur.
15. Lucknow	Municipal and Cantonment areas, Charbagh, Alambagh, Notified area and contiguous areas of Chandganj- Kalan, Alambagh and Mawaiya.
16. Farrukhabad-cum fatehgarh	Municipal and Cantonment areas and contiguous areas of Lalbagh, Barhpur, Nekpur and Bholepur.
17. Aligarh	Municipal area.
18. Firozabad	Ditto.
19. Faizabad	Ditto.
20. Gorakhpur	Ditto.
21. Hapur	Ditto.
22. Hathras	Ditto.
23. muzaffarnagar	Ditto.
24. Saharanpur	Ditto.
25. Gonda	Ditto.
26. Ghaziabad	Ditto.
27. Kaimganj	Ditto.
28. Mirzapur	Ditto.
29. Bulandshahr	Ditto.
30. Bara Banki	Ditto.
31. Banda	Ditto.
32. Hardoi	Ditto.
33. Jaunpur	Ditto.
34. Pilibhit	Ditto.
35. Orai	Ditto.
36. Bahraich	Ditto.
37. Sultanpur	Ditto.
38. Azamgarh	Ditto.
39. Etawah	Ditto.
40. Rae Bareilly	Ditto.
41. Padrauna	Ditto.
42. Hamirpur	Ditto.
43. Basti	Ditto.
44. Mainpuri	Municipal area
45. Unnao	Ditto.
46. Pratapgarh	Ditto.
47. Deoria	Ditto.
48. Lakhimpur Kheri	Ditto.
49. Ghazipur	Ditto.
50. Bijnor	Ditto.
51. Fatehpur	Municipal area and contiguous areas of Colletorganj, Hariharganj, Railbazar, Deviganj and Radhanagar .
52. Kannauj	Municipal area and contiguous areas of Saraimeran and Mekrandnagar.

Name	Area in which all the provisions of this act shall apply
53. Ballia	Municipal area
54. Chandausi	Ditto.
55. Kasganj	Ditto.
56. Bhadohi (Varanasi)	Ditto.
57. Ramnagar (Naini tal)	Ditto.
58. Haldwani	Ditto.
59. Shamli (Muzaffarnagar)	Ditto.
60. Budaun	Ditto.
61. Shikohabad (mainpuri)	Ditto.
62. Kashipur (Naini Tal)	Municipal area and Railway Settlement, Notified area, Railway Station and the Railway Institute.
63. Mahoba (Hamirpur)	
64. Moradabad	

Part B

Section 2,3,8,9,12,13,15,19,32,33,34,35, and 40 shall apply to all the shops and commercial establishments in the areas mentioned below:

Name	Area in which the said sections shall apply
1. Roorkee	Municipal and Cantonment areas.
2. Khurja	Municipal area.
3. Hardwar	Ditto.
4. Balrampur(Gonda)	Ditto.
5. Maunath Bhanjan	Ditto.
6. Tilhar	Ditto.
7. Nagina	Municipal area
8. Najibabad	Ditto.
9. Deoband(saharanpur)	Ditto.
10. Shahabad (Hardoi)	Ditto.
11. Panditwari (Dehradun)	Ditto.
12. Jalaun	Ditto.
13. Amethi	Ditto.
14. Karvi(Banda)	Ditto.
15. Moghalsarai	Ditto.
16. Tanda(Faizabad)	Ditto.
17. Gaura barhaj (Deoria)	Ditto.
18. Kairana (Muzaffaranagar)	Ditto.
19. Baraut (Merut)	Ditto.
20. Vrindaban (Mathura)	Ditto.
21. Mawana (Meerut)	

22. Jalalpur (Faizabad)	Ditto.
23. Kotdwara (Garhwal)	Ditto.
24. Etah	Ditto.
25. Lalitpur(Jhansi)	Ditto.
26. Mauranipur (Jhansi)	Ditto.
27. Sambhal (Moradabad)	Ditto.
28. Amroha (Moradabad)	Ditto
29. Chandpur (Bijnor)	Ditto.
30. Almora	Ditto.
31. Bisalpur(Pilibhit)	Ditto.
32. Biswan (Sitapur)	Ditto.
33. Gola Gokarannath (Kheri)	Ditto.
34. Konch (Jalaun)	Ditto.
35. Kalpi (Jalun)	Ditto.
36. Khatauli (Muzaffarnagar)	Ditto.
37. Auraiya (etawah)	Ditto.
38. Dhampur (Bijnor)	Ditto.
39. Sikandrabad(Bulan dshahr)	Ditto.
40. Rishikesh (Dehra dun)	Ditto.
41. Ujhani (Budaun)	Ditto.
42. Bharthana (Etawash)	Town area
43. Rasra (Ballia)	Notified area
44. Shahganj (Jaunpur)	Ditto.
45. Chibramau(Farrukh abad)	Town area.
46. Modinagar(Meerut)	Ditto.

Part C

All the provisions of this Act shall apply to those employees of vacuum pan sugar factories in the State to whom the Provisions Factories Act, 1948, do not apply.

Part D

All the provisions of this Act shall apply to commercial establishments of all the cane co-operative societies in the State.

SCHEDULE II

(Shops and commercial establishments to which the provisions of actions 5 and 8 shall not apply)

1. Shops and commercial establishments exclusively or mainly dealing in meals, refreshments, newspapers and periodicals, medicines, medical and surgical appliances, vegetables, sweetmeats, milk, cooked food, flowers, pan (betel leaves and nuts), meat, fish, poultry, game, eggs, ice, fresh fruits and green fodder. .
2. Cinemas, theatres and other places of public amusement or entertainment.
3. Clubs and residential hotels.
4. Stalls and refreshment rooms at railway stations.
5. Shops for the sale of motor spirit and motor or aircraft spares and accessories.
6. Shops and establishments of barbers and hair dressers.
7. Government licensed shops or establishments dealing in spirituous liquors or narcotic drugs.
8. Such shops dealing exclusively or mainly in material needed for burial, funeral and cremation purposes, as may be notified by the Collector in the manner prescribed.
9. Shops exclusively or mainly dealing in the business of hire of patromax, bands and loudspeakers required for marriages and other ceremonial occasions.
10. Shops in any exhibition, public show, fairs or bazars run for charitable purposes.
11. Transport services.
12. Electric and water supply undertakings.
13. Shops dealing exclusively or mainly in repairs of cycles, rickshaws, tonga, ekka and bullock-cart.

154406

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISTHAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1976

[U. P. Act No. 54 of 1976]

*(Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya
Adhistan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhistan Adhiniyam, 1962
with a view to providing for registration of shops and commercial establish-
ments and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India
as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya
Adhistan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976.

Short title and
commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 15, 1976.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhistan
Adhiniyam, 1962, hereinafter referred to as the principal Act—

Amendment of
section 2 of Act
no. XXV of 1962.

(i) after clause (1) the following clause shall be inserted, namely :—

“(1-A) ‘Chief Inspector’ means the Chief Inspector appointed
under section 29, and includes a Deputy Chief Inspector or Inspector
appointed under that section ;”

(ii) after clause (13) the following clause shall be inserted, namely :—

“(13-A) ‘Owner’, in relation to a shop or commercial establish-
ment, includes a person who runs or is incharge of such shop or
commercial establishment ;”

3. After Chapter 1 of the principal Act, the following Chapter shall be
inserted, namely :—

Insertion of new
Chapter 1-A.

“CHAPTER 1-A

Registration of Shops and Commercial Establishments

4-A. The Chief Inspector shall maintain in such form and containing such
particulars as may be prescribed, a register of all shops and commercial establish-
ments, to which this Act applies :

Register of shops
and commercial
establishments.

Provided that different such registers may be maintained for different
areas and for different classes of shops and commercial establishments.

4-B. (1) Every owner of a shop or commercial establishment shall within
three months of the commencement of such business or within three months
of the commencement of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhistan
(Sanshodhan) Adhiniyam, 1976, whichever is later, apply to the Chief Inspector
for registration of his shop or commercial establishment.

Registration.

(2) Every application for registration under sub-section (1) shall be in such
form and shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

(3) The Chief Inspector shall, on being satisfied that the prescribed fee
has been deposited, register the shop or commercial establishment in the
register maintained under section 4-A and shall issue a certificate of registration
to the owner in such form and in such manner, as may be prescribed.

*(For Statement of Objects and Reasons, please see Part III(a) of the Legislative Supplement
of the Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary), dated November 5, 1976.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on November 2, 1976 and by the
Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 8, 1976.)

(Received the Assent of the President on December 10 1976 under Article 201 of the
Constitution of India and was published in Part I (a) of the Legislative Supplement of the
Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated December 11, 1976.)

PRICE 10 PAISE

Term and renewal of registration certificate.

Duplicate Registration certificate.

Amendment of section 40.

Repeal and savings.

4-C. The registration certificate granted under section 4-B shall be valid for such period as may be prescribed, and shall on an application being made in that behalf and upon payment of the prescribed fees, be renewable from time to time by the Chief Inspector for such further period as may be prescribed.

4-D. When a registration certificate is lost, destroyed or torn, or is defaced or otherwise becomes illegible, the Chief Inspector shall in the manner prescribed and on payment of the prescribed fee, issue a duplicate registration certificate."

4. In section 40 of the principal Act—

(i) in sub-section (1) for the words "may make rules" the words "may by notification make rules" shall be *substituted* ;

(ii) in sub-section (2) after clause (b) the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(b-1) the form of register of shops and commercial establishments under Chapter 1-A ;

(b-2) the fees for registration, for renewal of registration certificate and for issue of duplicate registration certificate under Chapter 1-A ;

(b-3) the form of registration certificate under Chapter 1-A ; "

(iii) sub-section (4) shall be *omitted*.

5. (1) The Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhistan (Sanshodhan) Adhyadesh, 1976 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act.

U.P.
Ordinance
no. 24 of
1976.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 मई, 2018

ज्येष्ठ 4, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1109/79-वि-1-18-1(क) 6-2017

लखनऊ, 25 मई, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 03 मई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम संक्षिप्त नाम (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर है।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 26 सन्
1962 की धारा
4 ख का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4-ख में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

“(1) ऐसे दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान का प्रत्येक स्वामी ऐसे कारवार के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, अपनी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए निरीक्षक को आवेदन करेगा और यदि उसका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो, तो उस दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण यथाविहित रीति से आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से एक दिन से भीतर प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वीकृत करता है या स्वीकृत करने से अस्वीकार करता है या स्वीकृति करने के लिए आपत्ति करता है या संशोधन आदेश पारित करता है तो रजिस्ट्रीकरण, इस उपधारा के अधीन उल्लिखित समय से पश्चात् स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(1-क) आवेदक अपना आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा:

परन्तु यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण, अकृत एवं शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी:

परन्तु यह और कि स्वीकृत किये गये रजिस्ट्रीकरण पर विचार, दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा।”

धारा 4 ग का
संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 4 ग, उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित की जायेगी और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

“(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, नियमानुसार दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान के नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् एक दिन के भीतर किया जायेगा:

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वीकृत करने में विफल रहता है या स्वीकृत करने से अस्वीकार करता है या नवीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए आपत्ति प्रकट करता है या संशोधन आदेश पारित करता है तो नवीकरण, इस उपधारा के अधीन उल्लिखित समय के पश्चात् स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(3) आवेदक अपना आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो, वेबपोर्टल द्वारा स्वतः नवीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा नवीकरण प्रमाण-पत्र अपने ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा:

परन्तु यह है कि, यदि प्रमाण-पत्र, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा प्रमाण-पत्र, अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।”

धारा 6 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 6 में, द्वितीय परन्तुक में, शब्द “पचास” के स्थान पर शब्द “एक सौ पच्चीस” रख दिये जायेंगे।

5-मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

धारा 22 का संशोधन

“22- यदि किसी नियोजक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु सदन, महिला प्रसाधन, उनकी सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण तथा दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान से उनके निवास तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह स्त्री कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उसे रात्रि 9:00 बजे और प्रातः 6:00 बजे के मध्य कार्य करने दे सकता है।”

6- मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

धारा 25 का संशोधन

“25- गर्भावस्था की दशा में कोई स्त्री कर्मचारी, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और प्रसूति अवकाश के लिए हकदार होगी।”

7- मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

नई धारा 28 क का बढ़ाया जाना

“28-क(1) प्रत्येक नियोजक को दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजित कल्याणकारी समस्त व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक उपयुक्त स्थलों पर स्वास्थ्यप्रद उपबन्ध पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति का उपबन्ध करने और उसे अनुरक्षित करने के लिये प्रभावी व्यवस्था करना होगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता को पुरुष और महिला के लिए पृथक-पृथक शौचालय और मूत्रालय की यथाविहित रूप में व्यवस्था करना होगा जो इस प्रकार से सुविधाजनक रूप में अवस्थित होंगे, जो दुकान या अधिष्ठान में नियोजित कर्मकारों की पहुँच में हों:

परन्तु उस दशा में, जब स्थान की कमी या अन्यथा कारण से किसी दुकान या अधिष्ठान में ऐसा करना संभव न हो, तो कतिपय नियोक्ता सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं।

(3) ऐसी प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें बीस या उससे अधिक स्त्री कर्मकार सामान्यतया नियोजित हों, ऐसी स्त्री कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए शिशु सदन के रूप में उपयुक्त कक्ष उपलब्ध कराये जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जायेगा:

परन्तु यदि दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह एक किलोमीटर के घेरे के भीतर सामूहिक शिशु सदन उपलब्ध कराने का विनिश्चय करता है तो उसकी अनुमति निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन प्रदान की जायेगी।

(4) प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर यथाविहित रूप में प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

(5) राज्य सरकार नियोक्ता से ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें 250 से अन्यून कर्मकार नियोजित हों या सामान्यतया नियोजित हों, उन कर्मकारों के उपयोग के लिए कैन्टीन की व्यवस्था करने और उसे अनुरक्षित करने की अपेक्षा करेगी:

परन्तु यदि कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह सामूहिक कैन्टीन की व्यवस्था करने का विनिश्चय करता है तो उसे निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन अनुमति प्रदान की जायेगी।

(6) प्रत्येक नियोक्ता को कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (जिसमें स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, संवातन और अग्नि सुरक्षा सम्मिलित है) से सम्बंधित ऐसे समस्त उपाय करना होगा, जो आवश्यक हों।”

उद्देश्य और कारण

दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्य और नियोजन की शर्तों के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की भी व्यवस्था है।

वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा परिणामी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के कारण अतिकाल से सम्बंधित प्राविधानों को शिथिल करने, रात्रि में महिलाओं के नियोजन की अनुज्ञा देने तथा रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की मांग बढ़ती रही है। नियोक्ता संघों तथा व्यापार संघों से सम्यक विचार-विमर्श और परामर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि अतिकाल के घण्टे बढ़ाये जाने और कतिपय शर्तों के अधीन रात्रि में महिला कर्मकारों के नियोजन की अनुज्ञा देने के लिए रजिस्ट्रीकरण तथा नवीकरण हेतु एक दिन की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1109(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka) 6-2017

Dated Lucknow, May 25, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhinyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 29 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 3, 2018.

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

(U.P. ACT NO. 29 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan
Adhinyam, 1962.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and
extent

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhinyam, 2017.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of
section 4-B of
UP Act no. 26
of 1962

2. In section 4-B of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhinyam, 1962, hereinafter referred to as the Principal Act, for sub-section(1) the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(1) Every owner of the shop or commercial establishment where the employees are working, within six months of commencement of such business or within six months of the commencement of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhinyam, 1976, whichever is later, apply to the Inspector for registration of his shop or commercial establishment and if their application is complete in all respect, the registration of shop or commercial establishment shall be granted within one day from the date of submission of application, in such manner as may be prescribed:

Provided that if the Registering Officer fails to grant or refuse to grant or object to grant or pass an order of amendment, the registration shall be deemed to

be granted, after the time mentioned under this sub-section.

(1-A) The applicant may submit his application on departmental web-portal along with necessary documents and payment of fees. In such case, if the application is complete and applicant is eligible automatic registration shall be granted by web-portal and registration certificate shall be sent to applicant on his e-mail:

Provided that if the registration is obtained by misrepresentation or concealment of facts or on the basis of forged documents, such registration shall be deemed null and void and may be cancelled by Registering Officer and legal action may be taken against the applicant:

Provided further that the registration granted shall not be considered in relation to ownership of shop or commercial establishment.

3. In section 4-C of the principal Act shall be renumbered as sub-section(1) thereof and *after* sub-section(1) as so renumbered the following sub-section shall be *inserted*, namely:- Amendment of section 4-C

“(2) The registration shall be renewed within one day after the date of submission of application for renewal of shop or commercial establishment as per rules:

Provided that if the Registering Officer fails to grant or refuse to grant or object to grant renewal or pass an order of amendment, the renewal shall be deemed to be granted after the time mentioned under this sub-section.

(3) The applicant may submit his application on departmental web-portal along with necessary documents and payment of fee. In such case if the application is complete and applicant is eligible, the renewal shall be automatically granted by web-portal and renewal certificate shall be sent to applicant on his e-mail:

Provided that if the certificate is obtained by misrepresentation or concealment of facts or on the basis of forged documents, such certificate shall be deemed null and void and may be cancelled by Registering Officer and legal action may be taken against the applicant.”

4. In section 6 of the principal Act, in the second proviso *for* the word “fifty” the words “one hundred and twenty five” shall be *substituted*. Amendment of section 6

5. *For* section 22 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:- Amendment of section 22

“22. Any employer if satisfied that the provision of shelter, rest room, night crèche, ladies’ toilet, adequate protection of their safety, and their transportation from the shop or commercial establishment to their residence exists in such shop or commercial establishment, he may, after obtaining the consent of the woman worker, allow her to work between 9 p.m. and 6 a.m..”

6. *For* Section 25 of the principal Act, following paragraph shall be *substituted*, namely:- Amendment of section 25

“25. In case of pregnancy a woman employee shall be entitled to maternity benefit and maternity leave under. The Maternity Benefit Act, 1961”

7. *After* section 28 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:- Insertion of new section 28-A

“28-A(1) Every employer shall make effective arrangements to provide and Welfare Provisions maintain at suitable points convenient for all persons employed in the shop or commercial establishment, sufficient supply of wholesome drinking water.

(2) Every employer shall provide for male and female separate latrine and urinal as may be prescribed which shall be so conveniently situated as may be accessible to the workers employed in the shop or establishment.

Provided that certain employers may provide common facilities, in case it is not possible in a shop or establishment due to constraint of space or otherwise.

(3) In every shop or commercial establishment wherein twenty or more woman workers are ordinarily employed, there shall be provided and maintained rooms as crèche for the use of children of such woman workers:

Provided that if a group of shops or commercial establishments, so decide to provide a common crèche within a radius of one kilometer, then, the same shall be permitted by the Inspector, by an order, subject to such conditions as may be specified in the order.

(4) Every employer shall provide at the place of work such first-aid facilities as may be prescribed.

(5) The State Government shall require the employer to provide and maintain in the shop or commercial establishment, wherein not less than two hundred and fifty workers are employed or ordinarily employed to maintain a canteen for the use of its workers:

Provided that if a group of shops or commercial establishments, so decide to provide a common canteen, then the same shall be permitted by the Inspector by an order, subject to such conditions as may be specified in the order.

(6) Every employer shall take such measures relating to the health and safety (including cleanliness, lighting, ventilation and protection against fire) of the workers which are necessary."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1962 has been enacted to provide for the regulation of conditions of work and employment shops and commercial establishments. There is also provision for compulsory registration of shops and commercial establishments under the said Act.

Due to globalization, liberalization and consequent competitive atmosphere there has been a growing demand for relaxing the provisions relating to overtime, permitting employment of women during night and fixing a definite timeline for registration and renewal. After due consideration and consultation with associations of employers and trade unions, it has been decided to amend the said Act to fix time limit of one day for registration and renewal to enhance hours of overtime and to permit the employment of women workers during night under certain conditions.

The Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 89 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(228)-599 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 सा० विधायी-2018-(229)-300 प्रतियां-(क०/टी०/ऑफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 दिसम्बर, 2019
पौष 3, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 2239/79-वि-1-19-1(क)-19-19
लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे श्रम अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन)
अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2019)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन
करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) संक्षिप्त नाम
अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 26 सन् 1962
की धारा 4-ग का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में, धारा 4-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“4-ग-धारा 4-ख के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उस अवधि तक रजिस्ट्रीकरण के लिये विधिमान्य होगा जिस अवधि तक के लिये दुकान और प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता वाणिज्यिक अधिष्ठान विद्यमान हो।”

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962, कारखानों तथा नियोजन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की शर्तों का विनियमन करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण हेतु भी उपबन्ध है।

उक्त अधिनियम की धारा 4-ग में यह उपबन्ध है कि धारा 4-ख के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र यथा विहित अवधि तक के लिये विधिमान्य होगा और उस निमित्त आवेदन किये जाने पर तथा विहित शुल्क का भुगतान किये जाने पर मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा विहित रूप में अग्रतर अवधि के लिए समय-समय पर नवीकरण किये जाने योग्य होगा। व्यापारिक संगठनों द्वारा दुकानों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के उपबन्धों को समाप्त किये जाने की मांग की जाती रही है। भारत सरकार ने भी दुकानों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की आवश्यकता को समाप्त किये जाने की संस्तुति की है। उक्त संगठनों की मांग तथा भारत सरकार की संस्तुति पर विचार किये जाने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि दुकानों तथा वाणिज्यिक अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4-ग में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह-II
प्रमुख सचिव।

No. 2239/(2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)-19-19

Dated Lucknow, December 24, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 2019. The Shram Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam,

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

(U.P. ACT NO. 18 OF 2019)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan
Adhiniyam, 1962.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as
follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan
(Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

2. In the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962, for section 4-C, the following section shall be *substituted*, namely :-

Amendment of
section 4-C of
U.P. Act no. xxvi
of 1962
[1962]

"4-c-The registration certificate granted under section 4-B shall be
Validity of registration certificate valid for the duration for which the shop and commercial establishment is in existence."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1962 has been enacted to provide for regulation of conditions of works and employment shops and commercial establishments. There is also provision for compulsory registration of shops and commercial establishment, under the said Act.

Section 4-C of the said Act provides that the registration certificate granted under section 4-B shall be valid for such period as may be prescribed, and shall on an application being made in that behalf and upon payment of the prescribed fees, be renewable from time to time by the Chief Inspector for such further period as may be prescribed. The trader associations have been demanding for the elimination of the provisions of renewal of registration of shops. The Government of India has also recommended for the elimination of the requirement of renewal of registrations of the shops. After considering the demand of the said associations and the recommendation of the Government of India. it has been decided to amend section 4-C of the said Act to eliminate the requirement of the renewal of the registration of shops and commercial establishment.

The Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Vidheyak, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 483 राजपत्र-2019-(1226)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 104 सा० विधायी-2019-(1227)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/kk h i f' k'V
Hkk-1] [k M 1/2
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

y[kuÅ] 'k'okj] 2 t uojh] 2026
i ksk 12] 1947 'kd l For~

उत्तर प्रदेश शासन
fo/kk h vuHkk&1

संख्या 265/79-वि-1-2026-1-क-21-2025
लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

अधिसूचना
fofo/k

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे श्रम अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 1 जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
- (3) यह दिनांक 19 नवम्बर, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या-26, सन् 1962 की
धारा 1 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 1 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

“संक्षिप्त नाम और विस्तार”

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

धारा 2 का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 2 में—

(क) खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

“(4) वाणिज्य अधिष्ठान का तात्पर्य निम्नलिखित से है—

(एक) कोई भी परिसर, जो किसी कारखाने या दुकान का परिसर नहीं है, जिसमें कोई व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक या सहायक कोई भी कार्य लाभ के लिए किया जाता है और इसमें ऐसा परिसर भी सम्मिलित है जिसमें पत्रकारिता या मुद्रण कार्य या बैंकिंग, बीमा, स्टॉक और शेयर, ब्रोकरेज या उत्पाद विनिमय का कारबार किया जाता है या जिसका उपयोग थिएटर, सिनेमा या किसी अन्य सार्वजनिक आमोद-प्रमोद या मनोरंजन के लिए किया जाता है या जहां किसी कारखाने का लिपिकीय और अन्य अधिष्ठान, जिस पर कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, कार्य करते हैं;

(दो) किसी भी चिकित्सा व्यवसायी (अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, प्रसूति गृह और ऐसे अन्य सहित), वास्तुकार, कर सलाहकार या किसी अन्य तकनीकी या वृत्तिक परामर्शदाता, सेवा प्रदाता या सेवा मंच और वितरण सेवाएं प्रदान करने वाले अधिष्ठान आदि;

(तीन) ऐसे अन्य अधिष्ठान जिन्हें राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक अधिष्ठान घोषित करे;

(ख) खंड (6) में, उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) बाह्य सेवा प्रदाता अभिकरण के माध्यम से अभिनियोजित कोई व्यक्ति जो भाड़े या पारिश्रमिक पर कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन की निबन्धन स्पष्ट या विवक्षित हों;”

धारा 3 का संशोधन

4- मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ड़) निकाल दिया जायेगा;

(ख) खंड (च) में, प्रतीक “ . ”, के स्थान पर प्रतीक “ ; ” रख दिया जाएगा;

(ग) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

“(छ) बीस से कम कर्मचारी नियोजन वाले दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान।”

धारा 4(ख) का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 4-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

रजिस्ट्रीकरण 4-ख- (1) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का प्रत्येक स्वामी, जहां बीस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, ऐसे कारबार के प्रारंभ होने के छः माह के भीतर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ विभागीय वेब-पोर्टल पर अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

यदि दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान की प्रकृति केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी विभाग के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, तो आवेदक को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने उक्त विभाग या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए या जारी किए जाने वाले नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शी सिद्धान्तों का, यदि कोई हो, विहित फीस के भुगतान के साथ अनुपालन किया है/करेगा।

यदि आवेदन पूर्ण है और आवेदक पात्र है, तो विभागीय वेब-पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को उसके ई-मेल पर प्रेषित कर दिया जाएगा:

परन्तु यह कि आवेदक द्वारा उक्त रजिस्ट्रीकरण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या छिपाकर या जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया जाता है, तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है तथा ऐसे आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामित्व का प्रमाण नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ विभागीय वेब-पोर्टल पर यथाविहित ऐसी फीस संलग्न होगी।”

6— मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 6 का संशोधन

कार्य के घंटे और 6(1) कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी से किसी भी दिन अतिकाल निम्नलिखित से अधिक कार्य करने की अपेक्षा या उसे

अनुमति नहीं देगा :-

(क) तरुण व्यक्ति होने की दशा में छः घंटे; और

(ख) कोई अन्य कर्मचारी होने की दशा में नौ घंटे;

परन्तु यह कि ऐसे कर्मचारी से, जो तरुण न हो, एक सप्ताह में अधिकतम अड़तालीस घण्टे के अध्यक्षीन किसी भी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा सकती है या अनुमति दी जा सकती है। तथापि अतिकाल सहित कार्य के कुल घण्टों की संख्या स्टॉक लेने या लेखा-जोखा बनाने के दिन के सिवाय किसी भी एक दिन में ग्यारह घण्टे से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि अतिकाल कार्य के कुल घण्टों की संख्या किसी भी तिमाही में एक सौ चवालीस घंटे से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: 'तिमाही' का तात्पर्य 1 जनवरी या 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की निरन्तर अवधि से है।

(2) ऐसे कर्मचारी को, जिसने उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्धारित कार्य के घण्टों से अधिक कार्य किया है, उसके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक अतिकाल कार्य के लिए साधारण दर से दुगुनी दर पर मजदूरी का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-1: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'साधारण दर' का तात्पर्य आधारीक मजदूरी तथा ऐसे भत्तों से हैं, जिसमें खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की रियायती बिक्री के माध्यम से कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ के समतुल्य नकद राशि भी सम्मिलित है, जिसका कर्मचारी तत्समय हकदार है, किन्तु इसमें बोनस सम्मिलित नहीं है।

स्पष्टीकरण-2: किसी कर्मचारी को अतिकाल कार्य के लिए संदेय मजदूरी की गणना करने में एक दिन को कार्य के नौ घंटे गिना जाएगा।

7—मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 22 का संशोधन

“रात्रि के दौरान महिलाओं 22—कोई भी नियोक्ता, यह समाधान होने पर कि उसकी दुकान के नियोजन पर प्रतिषेध या वाणिज्य अधिष्ठान में आश्रय, भोजन कैंटीन सुविधा, विश्राम

कक्ष, रात्रिकालीन शिशुगृह, महिला शौचालय, उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था तथा दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान से उनके संबंधित निवास तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में काम करने वाली महिलाओं की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, उन्हें शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति दे सकता है”।

”

धारा 28-क का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 28-क की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढा दी जाएंगी, अर्थात्-

(7) प्रत्येक नियोक्ता को खड़े होकर काम करने के लिए बाध्य सभी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था करनी होगी।

(8) दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान में नियुक्ति के समय प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा, जिसमें कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, अर्हता (जैसे कुशल/अकुशल/अर्ध-कुशल), पद का नाम, वेतन/मजदूरी, मोबाइल फोन नंबर, आधार संख्या, पद की प्रकृति आदि जैसी जानकारी होगी।

धारा 33 का संशोधन

9-मूल अधिनियम में, धारा 33 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी जाएगी, अर्थात्:-

“(2) निरीक्षक, धारा 20 की उपधारा (1) को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व, नियोक्ता को पंद्रह दिन की लिखित सुधार सूचना के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने का अवसर देगा और यदि नियोक्ता ऐसी अवधि के भीतर निर्देश का अनुपालन करता है, तो निरीक्षक नियोक्ता के विरुद्ध ऐसी अभियोजन कार्यवाही आरम्भ नहीं करेगा। नियोक्ता को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जायेगा, यदि इस अधिनियम के अधीन बनाई गई धाराओं और नियमों के समान प्रकृति का उल्लंघन, उस दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर दोहराया जाता है, जिस दिन ऐसा पहला उल्लंघन किया गया था और ऐसे मामलों में अभियोजन अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरम्भ किया जाएगा।”

धारा 35 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

दण्ड 35- इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपए तक और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपए तक हो सकेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

11-(1) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी। मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 16 सन्
2025

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्य और नियोजन की शर्तों के विनियमन से सम्बंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1962) अधिनियमित किया गया है।

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करने; इससे सम्बंधित उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने शास्ति की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4-ख, 6, 22, 28-क, 33 और 35 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया, ताकि पूर्वोक्त अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सके और इसका भयोपराधी प्रभाव भी हो।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 265 (2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-21-2025

Dated Lucknow, January 2, 2026

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 1, 2026. The Shram Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2025
(U.P. Act no. 12 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025. Short title,
extent and
commencement
- (2) It shall extend to whole of the State of Uttar Pradesh.
- (3) It shall be deemed to have come into force with effect from the 19th day of November, 2025.

- Amendment of Section 1 of U.P. Act no. 26 of 1962
2. In the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan Adhiniyam, (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 1,—
- (a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be *substituted*, namely:—
- "Short title and extent" ;
- (b) sub-section (3) shall be *omitted*.
- Amendment of Section 2
3. In Section 2 of the principal Act,—
- (a) for clause (4), the following clause shall be *substituted*, namely:—
- "(4) 'commercial establishment' means,—
- (i) any premises, not being the premises of a factory, or a shop, wherein any trade, business, manufacture, or any work in connection with, or incidental or ancillary thereto, is carried on for profit and includes a premises wherein journalistic or printing work, or business of banking, insurance, stocks and shares, brokerage or produce exchange is carried on, or which is used as theatre, cinema or for any other public amusement or entertainment, or where the clerical and other establishment of a factory, to whom the provisions of the Factories Act, 1948, do not apply, work;
- (ii) establishment of any medical practitioner (including hospitals, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home and such others), architect, tax consultant or any other technical or professional consultant, service providers or establishment providing service platform and delivery services, *etc.*;
- (iii) such other establishments as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, declare to be a commercial establishment for the purpose of this Act ; " ;
- (b) in clause (6), *after* sub-clause (c), the following sub-clause shall be *inserted*, namely :—
- "(d) a person engaged through an outsourcing agency employed to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied;" .
- Amendment of Section 3
4. In sub-section (1) of Section 3 of the principal Act,—
- (a) clause (e) shall be *omitted* ;
- (b) in clause (f), for the symbol " . " , the symbol " ; " shall be *substituted* ;
- (c) *after* clause (f), the following clause shall be *inserted*, namely:—
- "(g) shops or commercial establishment employing less than twenty employees." .
- Amendment of Section 4-B
5. For Section 4-B of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—
- "Registration 4-B. (1) Every owner of a shop or commercial establishment, where twenty or more employees are working, within six months of the commencement of such business, shall submit an application for registration of his shop or commercial establishment on the departmental web-portal along with the necessary documents.
- If the nature of the shop or commercial establishment falls under the regulatory domain of any department of the Central/State Government, as the case may be, the applicant shall submit an affidavit that he has/will comply with the rules, regulations, notifications, guidelines issued or to be issued by the said department or authority, if any, with the prescribed payment of fees.
- If the application is complete and applicant is eligible, automatic registration shall be granted by the departmental web-portal and registration certificate shall be sent to the applicant on his e-mail:
- Provided that if the said registration is obtained by the applicant by misrepresentation or concealment of facts or on the basis of forged documents, such registration shall be deemed null and void and may be cancelled by Registering Officer and legal action may be taken against such applicant:

Provided further that the registration certificate issued under this Section shall not be a proof of ownership of shop or commercial establishment.

(2) Every application for registration under sub-section (1) shall be in such form and shall be accompanied by such fees as prescribed on the departmental web-portal."

6. For Section 6 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, Amendment of Section 6
namely:-

"Hours of work and overtime 6. (1) No employer shall require or allow an employee to work on any day for more than,—

(a) six hours in the case of a young person; and

(b) nine hours in the case of any other employee:

Provided that any employee, not being a young person, may be required or allowed to work in any shop or commercial establishment for more than nine hours in any day subject to a maximum of forty-eight hours in a week. Howsoever, that the total number of hours of work including overtime shall not exceed eleven hours on any one day except on a day of stock-taking or making of accounts:

Provided further that the total number of hours of overtime work shall not exceed one hundred and forty four hours in any quarter.

Explanation: 'Quarter' means a period of three consecutive months beginning on the 1st of January, the 1st of April, the 1st of July or the 1st of October.

(2) An employee, who has worked in excess of the hours of work fixed under clause (b) of sub-section (1), shall be paid by his employer, wages at twice the ordinary rate, for every overtime work.

Explanation-1: For the purpose of this sub-section, 'ordinary rate' means the basic wages plus such allowances, including the cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to employees of food grains and other Articles, as the employee is for the time being entitled to, but does not include bonus.

Explanation-2: In calculating the wages payable to an employee for overtime work, a day shall be reckoned as consisting of nine working hours. " .

7. For Section 22 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, Amendment of Section 22
namely:-

"Prohibition on employment of women during night shelter, food canteen facility, rest room, night creche, ladies' toilets, adequate protection of their safety, and their transportation from the shop or commercial establishment to their respective residences exists in his shop or commercial establishment, may, after obtaining the consent of the women working in such shop or commercial establishment, allow them to work between 7 p.m. and 6 a.m." .

8. In Section 28-A of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-sections shall be *inserted*, Amendment of Section 28-A
namely:-

"(7) Every employer shall provide adequate sitting arrangements for all employees obliged to work in a standing position.

(8) Every employer of a shop and commercial establishment shall issue a letter of appointment to every employee on his/her appointment in the shop and commercial establishment with information such as employee's name, father's name, date of birth, qualification (like skilled/unskilled/semi-skilled), name of the post, salary/wages, mobile phone number, Aadhaar number, nature of the post, etc."

9. In the principal Act, Section 33 shall be renumbered as sub-section (1) thereof and *after* the sub-section as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, Amendment of Section 33
namely:-

"(2) The Inspector shall, before initiation of prosecution proceeding for the offences under this Act except sub-section (1) of Section 20, give an opportunity to the employer to comply with the provisions of the Act by way of a fifteen days

written improvement notice, and, if the employer complies with the direction within such period, the Inspector shall not initiate such prosecution proceeding against the employer. No such opportunity shall be accorded to an employer, if the violation of the same nature of the sections and rules made under this Act is repeated within a period of five years from the date on which such first violation was committed; and in such case, the prosecution shall be initiated in accordance with the Act and orders issued by the State Government from time to time. "

Amendment
of Section 35

10. For Section 35 of the principal Act, the following Section shall be *substituted*, namely:-

"Punishment 35. Any person guilty of an offence under this Act shall be liable to fine which may, for the first offence, extend to two thousand rupees and, for every subsequent offence, to ten thousand rupees."

Repeal and saving

(1) The Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan (Sanshodhan) Ordinance, 2025 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 16 of 2025

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan Adhiniyam, 1962 (Uttar Pradesh Act no. 26 of 1962) has been enacted to consolidate and amend the law relating to the regulation of conditions of work and employment in the shops and commercial establishments across the State of Uttar Pradesh.

In order to safeguard health, safety and welfare of the personnel currently working in shops and commercial establishments; to ensure compliance with the provisions related thereto; to increase the quantum of the penalty so that the aforesaid Act can be effectively implemented and it can also have a deterrent effect, it was decided to amend Sections 1, 2, 3, 4-B, 6, 22, 28-A, 33 and 35 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishtan (Sanshodhan) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 16 of 2025) was promulgated by the Governor on 19th November, 2025.

This Bill seek to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-२०पी० 315 राजपत्र-2026-(958)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट) ।
पी०एस०यू०पी०-२०पी० 139 सा० विधायी-2026-(959)-300 प्रतियां-(डी०टी०पी० / ऑफसेट) ।